वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

(राष्ट्रीय कैम्पा)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
तीसरी मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन (लाइन 3), नई दिल्ली - 110001
फ़ोन: 011-20819359, ई-मेल: nationalcampa-moefcc@gov.in

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण को उनकी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 प्रस्तुत करने पर मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की गई पर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016, देश के वन क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस रिपोर्ट में कैम्पा द्वारा किए गए कार्यकलापों और पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई अभिनव कार्यनीतियों और प्राप्त हुए सकारात्मक परिणामों को प्रस्तुत किया गया है । इन पहलों में चीतों के प्रजनन संरक्षण, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय वन्यजीवों की आबादी के संरक्षण को बढ़ावा देना है और सिंक्रोनाइज्ड एलीफेंट एस्टीमेशन, जो भारत की सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में कई कार्यक्रमों जैसे 'मिष्टी' योजना, जिसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली और संरक्षण में सहयोग करने के लिए बनाया गया है तथा नगर वन योजना, जो शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने पर केंद्रित है, का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी वन प्रबंधन में सुधार, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देने, नदियों का पुनरूद्धार करने, पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए समर्पित है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर समन्वित प्रयासों से हम वन संरक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण की अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर भारत के लिए हरित और अधिक संधारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

(भूपेंद्र यादव)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-20819190, 011-20819187, फैक्स: 011-20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819187, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in

एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
EXTERNAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

कीर्तवर्धन सिंह
KIRTI VARDHAN SINGH

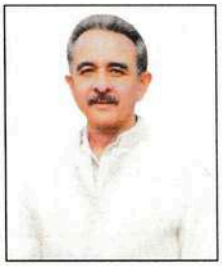

संदेश

मुझे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) को उनकी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करने पर बधाई देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वनों की भूमि के प्रतिपूरक वनीकरण को लागू करने में राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रस्तुत करती है। इन प्रयासों के माध्यम से, राष्ट्रीय कैम्पा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और हमारे पारिस्थितिक तंत्रों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करता है।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय कैम्पा और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कैम्पा निकायों के बीच हुए सहयोगात्मक कार्य को भी रेखांकित करती है, जिसमें आवंटित धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पर्यावरण पर स्थायी और ठोस प्रभाव डाला गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण, पुनर्जनन गतिविधियों, और वन्यजीव संरक्षण कार्यों के माध्यम से, कैम्पा ने देश भर के कई क्षेत्रों में क्षरणग्रस्त भूमि को बहाल करने और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, कैम्पा ने ऐसी योजनाओं पर भी सक्रिय रूप से काम किया है, जिनका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और समुदायों को समर्थन प्रदान करना है। नगर वन योजना जैसी पहल, जो शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित है, और मिष्टी परियोजना, जो वनों की बहाली और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए समर्पित है, कैम्पा की पर्यावरण प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

साथ ही, चीतों की एक मेटा-जनसंख्या की स्थापना जैसे वन्यजीव संरक्षण के उल्लेखनीय परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य इस अद्भुत प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करना और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है।

मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में कैम्पा और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित, अधिक टिकाऊ विश्व के निर्माण में योगदान देगा।

(कीर्तवर्धन सिंह)

कार्यालय: 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.kvs@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.kvs@gov.in
कार्यालय: कमरा नं.141, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23011141, 23014070, 23794337, फैक्स : 011-23011425, ई-मेल : mos.kvs@gov.in
Office : Room No. 141, South Block, New Delhi-110001, Tel. : 011-23011141, 23014070, 23794337, Fax : 011-23011425, E-mail : mos.kvs@gov.in
निवास: 23, बी.आर. मेहता लेन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23782979
Residence : 23, B.R. Mehta Lane, New Delhi-110001, Tel.: 011-23782979

तन्मय कुमार
TANMAY KUMAR

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE

संदेश

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण भारत की जैव विविधता और हरित आवरण को सुरक्षित रखने तथा इसे समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार काम्पा, गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने हेतु प्रतिपूरक वनरोपण करता है, जिससे संधारणीय विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को बढ़ावा मिलता है।

काम्पा के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरूद्धार, कृत्रिम पुनरूद्धार, वन संवर्धन कार्य, मृदा और नमी संरक्षण कार्य, कीट और रोग नियंत्रण, वन अग्नि रोकथाम और नियंत्रण कार्य, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्वैच्छिक स्थानांतरण और वन्यजीव पर्यावासों में सुधार शामिल हैं। इन पहलों से जैव विविधता संरक्षण में सहायता मिलती हैं, वन क्षेत्र का विस्तार होता हैं, हरित रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होता हैं।

मैं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय कोष के माध्यम से वित्तपोषित अनेक योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय काम्पा की सराहना करता हूँ। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय काम्पा और संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र काम्पा निकायों के संयुक्त प्रयासों से पर्याप्त प्रगति हो रही है। मुझे विश्वास है कि काम्पा स्वच्छ पर्यावरण और सतत विश्व निर्माण में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा।

(तन्मय कुमार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09 जून, 2025

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

सुशील कुमार अवस्थी
Sushil Kumar Awasthi

सत्यमेव जयते

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND
CLIMATE CHANGE

संदेश

प्रतिपूरक वनीकरण भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक संरक्षण रणनीति है, जिसका उद्देश्य गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वनों के विचलन से होने वाले वन भूमि और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान की भरपाई करना है। यह रणनीति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लागू की जाती है।

कैम्पा विभिन्न गतिविधियों में शामिल है, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण, क्षरणग्रस्त वनों की पारिस्थितिक बहाली, नदियों और धाराओं का पुनर्जीवन, जैव विविधता का संवर्धन, वन आग की रोकथाम, और वन्यजीव आवास का सुधार शामिल है। इन प्रयासों का दीर्घकालिक पारिस्थितिक और पर्यावरणीय महत्व है।

राष्ट्रीय कैम्पा प्रौद्योगिकी-प्रेरित PARIVESH 2.0 पहल का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय CAMPA द्वारा समर्थित नगर वन योजना शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि आधुनिक नर्सरी कार्यक्रम युवाओं को प्रकृति से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, CAMPA संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीता, डुगोंग, संगाई हिरण, और नदी डॉल्फिन आदि के संरक्षण में भी सक्रिय है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और वर्ष के दौरान वित्तपोषित कुछ नवाचारी परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(सुशील कुमार अवस्थी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 6 जून, 2025

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-20819239, 20819209

Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Ph. : 011-20819239, 20819209, E-mail : dgfindia@nic.in

आनन्द मोहन
Anand Mohan

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
Chief Executive Officer,
National Compensatory Afforestation Fund
Management & Planning Authority
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
Government of India

प्राक्कथन

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और नियम, 2018, भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों के प्रभावी प्रशासन और शीघ्र उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर विस्तृत संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करता है, ताकि राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन और उपयोग किया जा सके।

वन संरक्षण अनुमोदनों की शर्तों के अनुपालन में, राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्थापित प्राधिकरण प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना और अन्य अनिवार्य गतिविधियों जैसे कृत्रिम पुनरुज्जीवन, सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन, वनों की सुरक्षा, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण शासन में सुधार, वन संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और वन्यजीव संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता देती हैं।

1980 से 10.95 लाख हेक्टेयर में प्रतिकरात्मक वनरोपण का सफल कार्यान्वयन किया गया है। इस उपलब्धि को आधुनिक तकनीकों और अभिनव दृष्टिकोणों जैसे कि ई-ग्रीन वॉच और वेब जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया है।

राष्ट्रीय कैम्पा का प्रभाव महत्वपूर्ण परियोजनाओं तक फैला हुआ है, जिसमें मिशन नमामि गंगे में इसकी भूमिका शामिल है, जहां यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वनरोपण और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण के माध्यम से योगदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैम्पा ने नगर वन योजना के तहत बड़े पैमाने पर शहरी हरियाली का कार्य किया है, जिससे 1000 नगर वनों का विकास हुआ है, जो शहरी पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करता है। राष्ट्रीय कैम्पा मिशन मिष्टी का समर्थन करता है, जो देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के पुनर्स्थापन पर केंद्रित है।

कैम्पा द्वारा प्रायोजित प्रमुख अध्ययनों में बाघ अभयारण्यों से गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास के प्रभाव और देश की तेरह प्रमुख नदियों के लिए व्यापक नदी पुनरोद्धार योजनाएँ शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण की वन्यजीव संरक्षण पहल संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड , डुगोंग, संगाई हिरण और नदी डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं, साथ ही गुजरात के बानी घासभूमि में चीता के संरक्षण और प्रजनन के लिए पहल कर रही हैं। राष्ट्रीय कैम्पा समकालिक हाथी अनुमान (चरण-II) का भी आकलन कर रहा है।

राष्ट्रीय कैम्पा वन अनुसंधान संस्थान में पुनर्वास और एफ.आर.आई विरासत भवन के पुनर्स्थापन तथा राष्ट्रीय वन पुस्तकालय और सूचना केंद्र को सुदृढ़ करने जैसे परियोजनाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय कैम्पा वन प्रबंधन, सतत विकास, कार्बन बाजार, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण और आजीविका में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है।

कैम्पा द्वारा वित्तीय सहायता प्रमुख पहलों जैसे परिवेश 2.0, वार्षिक योजना संचालन के लिए डिजिटल पोर्टल, राष्ट्रीय कैम्पा वेबसाइट के विकास और पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड अनुमतियों से संबंधित वैधानिक प्रक्रियाओं के ऑनलाइन प्रवाह को सुव्यवस्थित करने तक फैली हुई है। राष्ट्रीय कैम्पा ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली भी शुरू की है, जो लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के परिवहन की निगरानी और रिकॉर्ड-कीपिंग को बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण पारिस्थितिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करता है, जबकि यह देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों का भी समर्थन करता है।

(आनन्द मोहन)

तीसरी मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001
3rd Floor, Supreme Court Metro Station Building, New Delhi-110001
E-mail: anand.mohan@nic.in

अनुक्रमणिका

संक्षिप्ताक्षरों की सूची 10

दृष्टिकोण 13

कार्यपालक सारांश 14

अध्याय-1: अवलोकन 18

अध्याय 2: राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा का गठन 24

अध्याय 3: निगरानी और मूल्यांकन ढांचा 33

अध्याय 4: राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा लिए गए निर्णय 37

अध्याय 5: राष्ट्रीय कैम्पा के लिए खाते और लेखा परीक्षा, 2023-2024 45

अध्याय 6: राष्ट्रीय कैम्पा निधि के तहत योजनाएं, 2023-24 55

अध्याय 7: कैम्पा के अंतर्गत नवीन कार्य 66

अध्याय 8: 2023-24 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ 71

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

ए.सी.ए	अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
एआईजीएफ	सहायक वन महानिरीक्षक
एएनआर	सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन
एपीओ	संचालन की वार्षिक योजना
एआर	कृत्रिम पुनरुज्जीवन
एएसडब्ल्यू	उन्नत मृदा कार्य
बीएनएचएस	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
सी एंड एजी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीटूसी	श्रेणी 2 केंद्र
सीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण
सीएएफ	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
सीएएमपीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएटीपी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
सीडीएच	क्रिटिकल डुर्गोग पर्यावास
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीओएफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव वार्डन
सीजेडए	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
डीईएम	डिजिटल एलिवेशन मॉडल
डीएफएल	निम्नीकृत वन भूमि
डीजीपीएस	डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
ईसी	कार्यपालक समिति
ईएसआरपी	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
एफसी अधिनियम	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम
एफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधन
एफएससी	वन सुरक्षा समिति

एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीबी	शासी निकाय
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीआईबी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जीआईएम	हरित भारत मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईडीडब्ल्यूएच	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास
आईआईएफएम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईयूसीएन	प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
आईडब्लूएसटी	लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओईएफ एवं सीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनएईबी	राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण-विकास बोर्ड
एनबीडब्ल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनसीएसी	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद
एनसीएएफ	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एनकैम्पा	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
एनसीडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र
एनएफआईसी	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह
नीति	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एन पी वी	निवल वर्तमान मूल्य
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनवीवाई	नगर वन योजना
पीए	संरक्षित क्षेत्र
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय

परिवेश	इंटरएक्टिव, सदाचारी और पर्यावरण सिंगल-विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव और रिस्पॉन्सिव सुविधा
पीसीए	दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
पीएफएम	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
रेड+	वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना
एसएआर	अलग ऑडिट रिपोर्ट
एससीएएफ	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एसएफडी	राज्य वन विभाग
एसएमसी	मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
वैपकोस	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान

राष्ट्रीय कैम्पा का लक्ष्य है

"जीवनदायी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण, पुनर्वनीकरण और बहाली के माध्यम से वनों और जैव विविधता का पुनर्निर्माण और संवर्धन।"

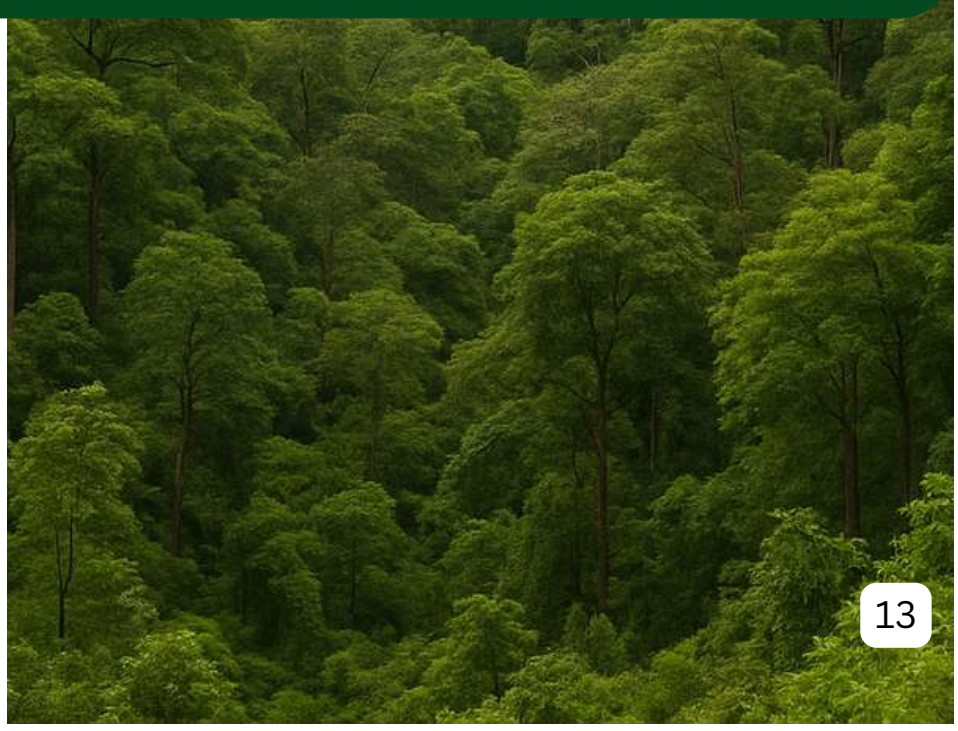

कार्यपालक
सारांश

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) को 3 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम नियम, 2018 (सीएएफ नियम, 2018) को 10 अगस्त 2018 को अधिसूचित किया गया था।
2. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम और नियम 30 सितंबर, 2018 को लागू हुए।
3. सीएएफ अधिनियम, 2016 भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों के तहत धन की स्थापना और डायवर्जन के कारण वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा धन या क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का इन प्रतिकरात्मक शुल्कों में प्रतिकरात्मक वनरोपण की लागत, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण, निवल वर्तमान मूल्य और ऐसी एजेंसियों से वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए वसूल की गई अन्य सभी राशियां शामिल हैं।

कार्यपालक
सारांश

4. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरण कैम्पा निधि के प्रशासन और उपयोग के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत वैधानिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं।

5. राष्ट्रीय प्राधिकरण में शासी निकाय, कार्यपालक समिति और निगरानी समूह शामिल हैं। राज्य/ केंद्र कैम्पा प्राधिकारियों में शासी निकाय, अभिचालन समिति और कार्यपालक समिति हैं।

6. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 39 अधिनियम के तहत उल्लेखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरण द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है जिसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष के 31 दिसम्बर तक अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय काम्पा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। राज्य कैम्पा की कार्यपालक समिति प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 19 के तहत संचालन की वार्षिक योजना तैयार करती है, जिसमें राज्य कैम्पा निधि से कार्यान्वित किए जाने वाले वनरोपण, सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन और अन्य संबंधित गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण दिया जाता है, जिसे राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की जांच और अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

7. सीएएफ अधिनियम, 2016 यह प्रावधान करता है कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त कुल धनराशि का 90% भाग, जो पहले अस्थायी कैम्पा (अब राष्ट्रीय कैम्पा) के पास रखा गया था, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा, और शेष 10% भाग राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राष्ट्रीय कैम्पा) के पास सुरक्षित रखा जाएगा।

8. दिनांक 31 मार्च 2024 तक संबंधित 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कुल **₹66,528.62 करोड़** स्थानांतरित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई स्वीकृतियों के अनुपालन में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा **₹6,496.50 करोड़** की प्रतिपूरक लेवी जमा की गई। सामंजस्य (मिलान) के बाद, संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कुल स्थानांतरित प्रतिकरात्मक लेवी में से **₹11,236.22 करोड़ (90%)** वितरित किए गए।

9. वर्ष 2023-24 के दौरान, शासी निकाय की एक बैठक (चौथी बैठक), राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति की छह बैठकें (23वीं से 28वीं बैठक), परियोजना समीक्षा समिति की दो बैठकें और निगरानी समूह की एक बैठक (7वीं बैठक) आयोजित की गई।

कार्यपालक
सारांश

10. राष्ट्रीय कैम्पा ने वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्राधिकरणों के वार्षिक कार्य योजनाओं को **₹7,293.23 करोड़** की राशि के लिए स्वीकृत किया, जो कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और नियम, 2018 के अनुरूप है। इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वन विभागों को स्वीकृत कैम्पा गतिविधियों के संचालन के लिए **₹6,453.45 करोड़** जारी किए गए, तथा विभिन्न स्वीकृत कैम्पा क्रियाएँ के कार्यान्वयन में **₹5,205.12 करोड़** की राशि उपयोग की गई।

11. स्वीकृतियों की शर्तों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध प्रतिकरात्मक वनरोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1980 से 31.03.2024 तक के संचयी लक्ष्य **12.46 लाख हेक्टेयर** के मुकाबले **10.95 लाख हेक्टेयर (लक्ष्य का 87.86%)** क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

12. वर्ष 2023-24 के दौरान, 26,906.563 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

13. राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यपालक समिति, अपनी अन्य भूमिकाओं के अलावा, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की प्राधिकरणों की वार्षिक कार्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राष्ट्रीय निधि के तहत योजनाओं को स्वीकृति हेतु शासी निकाय को अनुशंसा करती है।

14. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि से समर्थित 20 योजनाओं को स्वीकृत किया।

15. राष्ट्रीय कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसरण तैयार की गई है और इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कैम्पा*** द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को शामिल किया गया है।

प्रतिकरात्मक वनरोपण, छत्तीसगढ़

प्रतिकरात्मक वनरोपण, महाराष्ट्र

अध्याय 1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 प्रतिकरात्मक वनरोपणनिधि अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएँ

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन, उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करते हैं।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, वन भूमि के डायवर्जन के बदले में उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्रतिकरात्मक शुल्क वसूला जाता है।

(iii) प्रतिकरात्मक शुल्क में प्रतिकरात्मक वनरोपण की लागत, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन और जहाँ लागू हो, निवल वर्तमान मूल्य शामिल हैं, जो वन भूमि और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक हैं।

(iv) प्रतिकरात्मक शुल्क गैर-समाप्त होने योग्य, ब्याज अर्जित करने वाले होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य निधियों में 10:90 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय निधि भारत के सार्वजनिक लेखा में रखी जाती है, जबकि राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र निधियाँ संबंधित राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के सार्वजनिक लेखा में रखी जाती हैं।

(v) राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु कार्य करता है। राष्ट्रीय कैम्पा में एक शासी निकाय, एक कार्यपालक समिति और एक निगरानी समूह होता है। राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय / केंद्र शासित प्रदेशों के कैम्पा में एक शासी निकाय, एक अभिचालन समिति और एक कार्यपालक समिति है।

(vi) राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कैम्पा (प्राधिकरण) संबंधित राज्य और केंद्र राज्य शासित में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए कार्य करते हैं।

(vii) प्रतिकरात्मक वनरोपण, आवाह क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना और अन्य किसी भी स्थल विशेष गतिविधि/योजना के लिए प्राप्त निधि का उपयोग अनुमोदित योजनाओं के अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत किया जाता है।

(viii) निवल वर्तमान मूल्य निधि पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के संवर्धन के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें कृत्रिम पुनरुज्जीवन, सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव एवं वन से संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, वन्यजीव आवासों में सुधार, वन अग्नि रोकथाम और नियंत्रण आदि शामिल हैं।

(ix) राष्ट्रीय कैम्पा राज्यों के सहयोग से गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के लिए अनिवार्य प्रतिकरात्मक वनरोपण पूरा करने का प्रयास कर रहा है। मार्च 2024 तक **10.95 लाख हेक्टेयर** में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया जा चुका है।

(x) राष्ट्रीय कैम्पा का प्रयास परितंत्र की बहाली के लिए वन क्षरण के विभिन्न कारकों को समग्र रूप से संबोधित करने की दिशा में केंद्रित है। इसमें सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन, स्थानीय प्रजातियों का वनीकरण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनों का संरक्षण, वनाग्नि रोकथाम, आक्रमी प्रजातियों का नियंत्रण एवं हटाने तथा वन्यजीव आवासों के सुधार जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

1.2 राष्ट्रीय कैम्पा में निधियों की प्राप्ति एवं राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण की प्रक्रिया

(i) कोई भी एजेंसी, जो किसी विकास परियोजना जैसे कि सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, बांध, खनन आदि के लिए स्थल- विशेष गैर-वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि का उपयोग करना चाहती है, उसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि इस उद्देश्य के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रस्ताव की विस्तृत जांच के बाद वन स्वीकृति प्रदान करता है।
(ii) उपयोगकर्ता एजेंसी को संबंधित राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिकरात्मक वनरोपण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करनी होती है और प्रतिकरात्मक वनरोपण की लागत, निवल वर्तमान मूल्य तथा अन्य शुल्क जमा करने होते हैं। निवल वर्तमान मूल्य की गणना उपयोगकर्ता एजेंसी से उस वन भूमि की श्रेणी/प्रकार के आधार पर की जाती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।

1.3 प्रतिकरात्मक शुल्क कैम्पा निधि निम्नलिखित घटकों के तहत जमा की जाती है:

1.3.1 अनिवार्य गतिविधियाँ

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण
(ii) दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
(iii) अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
(iv) आवाह क्षेत्र उपचार योजना
(v) एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
(vi) अन्य स्थल विशेष गतिविधियाँ

1.3.2 निवल वर्तमान मूल्य
1.3.3 ब्याज घटक
1.3.4 अन्य

1.4 वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति की प्रक्रिया

वार्षिक कार्य योजना वन आवरण सुधार के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना होती है। इसमें संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि के लिए समय-निर्धारण शामिल होता है। यह योजना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 39 के तहत निर्धारित फॉर्म-XII में प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य एपीओ को **हर साल 31 दिसंबर से पहले राष्ट्रीय कैम्पा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।**

राज्यों की एपीओ को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय

कैम्पा की कार्यपालक समिति वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करते समय राज्य वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित कैम्पा गतिविधियों की जांच करती है, जिसमें उनके प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अनुमेयता, व्यय की प्रवृत्ति, कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन की स्थिति, विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय आदि शामिल होते हैं।

एपीओ अनुमोदन की आरेखीय प्रस्तुति नीचे दी गई है

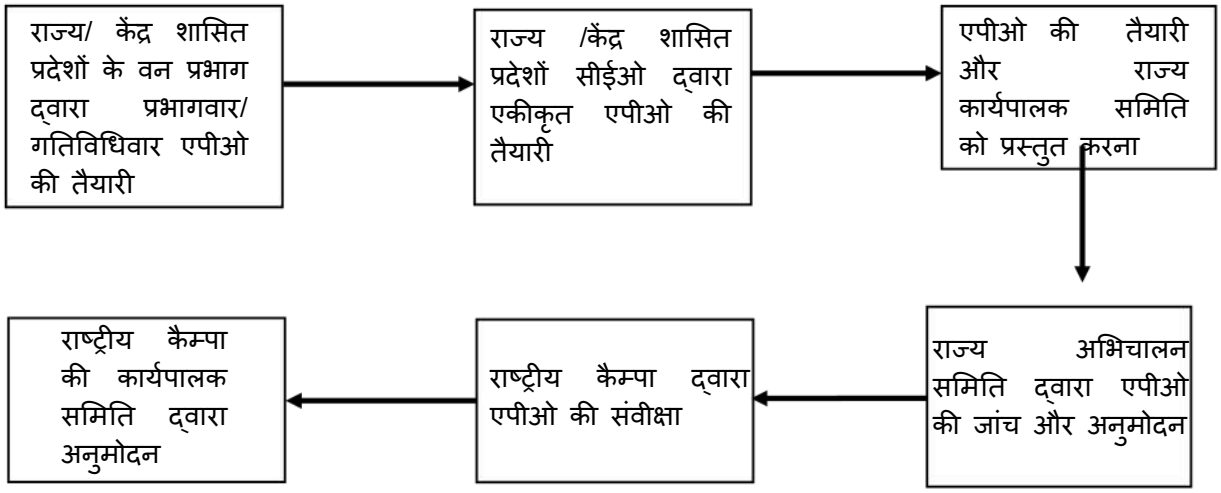

1.5 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का उपयोग

इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 6 में प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(i) वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार स्थल विशेष गतिविधि/ योजना किए जाते हैं।

(ii) **वन्यजीव कार्यकलाप** - राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयों अथवा संचित निधि से संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के अपवर्तन के मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार वसूल की गई धनराशि का उपयोग राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण कार्यकलाप करने के लिए किया जाता है।

(iii) **निवल वर्तमान मूल्य निधि से संबंधित गतिविधियाँ** - निवल वर्तमान मूल्य निधि का उपयोग कृत्रिम पुनरुज्जीवन, सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन, वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, वन एवं वन्यजीव से संबंधित अवसंरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है।

(iv) **राज्य निधि पर अर्जित ब्याज से अनुमत गतिविधियाँ** - राज्य निधि में संचित ब्याज का उपयोग

प्रतिकरात्मक वनरोपण की बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने और अन्य कैम्पा गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह राज्य प्राधिकरणों के आवर्ती और अनावर्ती व्यय, जिसमें उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते शामिल हैं, को पूरा करने के लिए भी उपयोग होता है।

1.6 राष्ट्रीय निधि का उपयोग

इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 6 के प्रावधान निम्नलिखित हैं: -

(i) राष्ट्रीय कैम्पा के प्रबंधन के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय, जिसमें अधिकारियों के वेतन और भत्ते शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रीय कैम्पा और प्रत्येक राज्य कैम्पा द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किए गए व्यय।

(iii) राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशेष योजनाओं पर किया गया व्यय, जिसमें वन और वन्यजीव क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ, पायलट योजनाएँ, कोड और दिशानिर्देशों का मानकीकरण, और अन्य संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

***

उसगाओ वन नर्सरी, पोंडा, उत्तरी गोवा

हाई-टेक नर्सरी, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़

अध्याय 2

राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा / के. प्र. राज्य का गठन

अध्याय 2

राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा / के. प्र. राज्य का गठन

2. राष्ट्रीय कैम्पा

2.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण की शासी निकाय

राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें पदेन सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय की संरचना निम्नलिखित है:

तालिका-1: राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय की संरचना/संविधान-[धारा-8(4), सीएएफ, अधिनियम, 2016]

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
ii.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त (व्यय), ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि, पंचायती राज, जनजातीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों के सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)	सदस्य, पदेन
iii.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	अपर महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	अपर महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vii	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक से अधिक नहीं, एक समय में दो साल की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे। • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), तेलंगाना • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), ओडिशा • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), उत्तर प्रदेश • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), जम्मू और कश्मीर • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), गुजरात	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	पद
ix.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
x.	पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में से पांच विशेषज्ञों को केंद्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो। • प्रो. सीआर बाबू- पर्यावरणविद् • श्री. केएस सुगारा, आईएफएस (सेवानिवृत्त)- संरक्षणवादी • डॉ. तेजवीर सिंह राणा-वैज्ञानिक • प्रो. सतीश वाई. देवधर-अर्थशास्त्री • श्री. दीपक खांडेकर, आईएएस (सेवानिवृत्त)- सामाजिक वैज्ञानिक	सदस्य, पदेन
xi.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य सचिव

2.1.1 शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य [सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 14(1) और 14 (2)]

राष्ट्रीय प्राधिकरण की शासी निकाय अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राज्य कैम्पा (प्राधिकरणों) के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा और रूपरेखा तैयार करता है और निम्नलिखित कार्य करता है:-

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरणों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीति की रूपरेखा तैयार करना।

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और निगरानी समूह द्वारा किए गए विनिश्चय संबंधी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करना।

(iv) योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

(v) राष्ट्रीय कैम्पा में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी देना।

(vi) अंतर-राज्य अथवा केंद्र-राज्य प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों को एक तंत्र उपलब्ध कराना।

(vii) राष्ट्रीय कैम्पा और राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के कैम्पा को प्रत्यायोजित और प्रशासनिक शक्तियों के लिए ऐसी प्रक्रियाएं तैयार करना।

राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की बैठक प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होगी।

2.2 राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति [सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 9 (2)]

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यपालक समिति का गठन पदेन सदस्यों के साथ वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यपालक समिति की संरचना निम्नवत है:-

तालिका-2: राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यपालक समिति की संरचना/संविधान-[धारा-9(2), सीएएफ, अधिनियम, 2016]

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय एवं पता	पद
i.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
ii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सभी प्रादेशिक कार्यालयों के प्रमुख	सदस्य पदेन
vii.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
viii.	एक अनुभवी पारिस्थितिकीविज्ञानी, जो केंद्र सरकार से सम्बंधित नहीं हो- डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा- प्रोफेशनल परिस्थितिविज्ञानशास्त्री	सदस्य;
ix.	तीन विशेषज्ञ जो वन विज्ञान, जनजातीय विकास और वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्रो में से एक हो औरजो केंद्र सरकार से सम्बंधित नहीं हो • श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, आईएफएस (सेवानिवृत्त)-वानिकी/ वनविज्ञान, • श्री गिरीश कुबेर- आदिवासी विकास • श्री अश्विनी कुमार- वन अर्थव्यवस्था विकास	सदस्यों
x.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य-सचिव

2.2.1 कार्यपालक समिति की शक्तियाँ एवं कार्य [सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 15(1) और 15 (2)]

राष्ट्रीय कैम्पा का शासी निकाय राष्ट्रीय कैम्पा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कैम्पा (प्राधिकरणों) के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करता है और निम्नलिखित कार्य करता है: -

(i) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों की वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) की मंजूरी।
(ii) सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 5 के खंड (बी) के उप-खंड (iii) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना और योजनाएं/पायलट परियोजनाएं निष्पादित करना।
(iii) राष्ट्रीय कैम्पा में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना।
(iv) खाते की किताबें और ऐसे अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
(v) जानकारी के लिए अपने निर्णयों को राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।
(vi) राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना।
(vii) समय-समय पर शासी निकाय या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

2.3 राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह [धारा-9(3) एवं 16(1), सीएएफ अधिनियम, 2016]:
निगरानी समूह राष्ट्रीय कैम्पा और राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों कैम्पा (प्राधिकरणों) द्वारा जारी धनराशि का उपयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन करता है। निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

2.4. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कैम्पा:
राज्यों में गठित कैम्पा ऐसे राज्योंके राज्य निधि के प्रबंधन और अधिनियम के उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कैम्पा में एक शासी निकाय शामिल होगा जिसे एक संचालन समिति और एक कार्यपालक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

2.4.1 राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय:
राज्य कैम्पा प्राधिकरणों का शासी निकाय राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें पदेन सदस्य शामिल हैं। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है तो, उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, शासी निकाय का अध्यक्ष हो सकता है।

तालिका-3: शासी निकाय, राज्य सीएएमपीए की संरचना/संविधान- [धारा-10 (5), सीएएफ अधिनियम, 2016]

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो	अध्यक्ष, पदेन
2	माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
3	राज्य सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
4	राज्य सरकार के पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	सदस्य, पदेन
6	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
7	राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन

2.4.2 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शासी निकाय की शक्तियां और कार्य [सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा-17(1) और 17 (2)]

राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय:-

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समग्र ढांचे के भीतर ऐसे राज्य प्राधिकरण के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना।

(ii) राज्य प्राधिकरण के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करना।

छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.5. राज्य प्राधिकरण की राज्य स्तरीय अभिचालन समिति:

राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय अभिचालन समिति राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ गठित की जाती है। राष्ट्रीय कैम्पा की अभिचालन समिति की संरचना इस प्रकार है:

तालिका-4: अभिचालन समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान-[धारा-11(2)] [धारा-10 (5), सीएएफ अधिनियम, 2016]

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2	वन, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य, पदेन
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राज्य	सदस्य, पदेन
4	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
5	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	सदस्य, पदेन
6	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य, पदेन

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
7	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
8	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
9	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.5.1 अभिचालन समिति की शक्तियाँ एवं कार्य [धारा-18(1) और 18 (2), सीएएफ अधिनियम, 2016]

राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति: -

1. संबंधित राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना की जांच और अनुमोदन करना और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को भेजना।
2. राज्य निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना।
3. निवेश निर्णयों सहित कार्यपालक समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना।
4. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यपालक समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन मंजूरी देना।

हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.6 राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति

राज्य कैम्पा की कार्यपालक समिति अन्य सदस्यों के साथ राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में कार्य करती है। राज्य कैम्पा की कार्यपालक समिति की संरचना इस प्रकार है:

तालिका-5: कार्यपालक समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान [धारा-11(3)], सीएएफ अधिनियम, 2016

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक , राज्य	अध्यक्ष, पदेन
2	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज्य	सदस्य, पदेन
3	वन और वन्यजीव संबंधी योजनाओं को देखने वाला मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
4	वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
5	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
6	पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7	वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य, पदेन
8	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन	सदस्यों
9	जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे	सदस्यों
10	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
11	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.6.1 कार्यपालक समिति की शक्तियाँ एवं कार्य [धारा-19(1) और 19(2)]] सीएएफ अधिनियम, 2016]

राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित कार्य करता है:-

1. संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना और उसकी सहमति के लिए राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को प्रस्तुत करना।
2. राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
3. खाते की किताबें और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
4. राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
5. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
6. वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ज़िम्मेदरी का निर्वाह करना।

राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

कवालेवाड़ा गाँव (नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान) (नवेगांव- नागजीरा टाइगर रिजर्व)

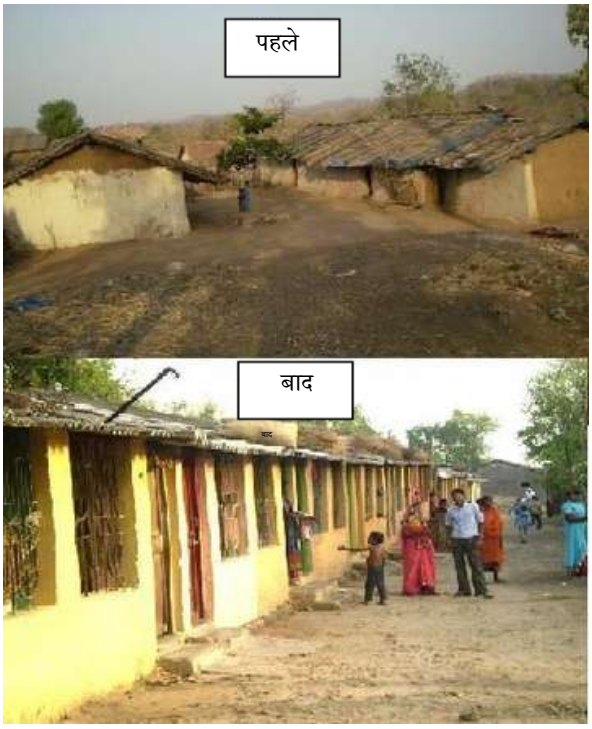

नगरतास गांव (मेलघाट टाइगर रिजर्व)

संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास

अध्याय 3

निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

अध्याय 3

निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

3.1. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रदर्शन की समीक्षा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभाग द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों को शामिल करके की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण वृक्षारोपण के स्थान, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य वन विभागों द्वारा अपलोड किए गए वृक्षारोपण के भू-स्थानिक डेटा (बहुभुज) का विश्लेषण करता है।

3.1.1 सीएएफ अधिनियम, 2016 के तहत, एक निगरानी समूह का गठन किया गया है, जिसमें पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र के क्षेत्र में छह विशेषज्ञ होते हैं। इस समूह के सदस्य संयोजक के रूप में वन सर्वेक्षण भारतीय के महानिदेशक कार्य करते हैं। इस निगरानी समूह के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

(i) **स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का विकास:** यह समूह राज्यों और केंद्र राज्य क्षेत्रों में लागू कार्यों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करेगा।

(ii) **वित्तीय ऑडिट करना और निरीक्षण करना:** यह समूह उन कार्यों का निरीक्षण करेगा और वित्तीय ऑडिट करेगा, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निधि का उपयोग करके राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं।

(iii) **पारदर्शिता और जवाबदेही के उपायों को तैयार करना:** यह समूह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपायों का निर्माण करेगा।

3.1.2. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नानुसार की जा रही है -

(i) **आंतरिक निगरानी: -** आंतरिक निगरानी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग के वन अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, उनके अलावा जिन्होंने कैम्पा गतिविधियों को अंजाम दिया है। प्रत्येक राज्य ने निगरानी और मूल्यांकन विंग के प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। कई राज्यों में मॉनिटरिंग विंग के प्रभारी के रूप में पीसीसीएफ, एपीसीसीएफ/सीसीएफ हैं। छोटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी डीसीएफ, एसीएफ द्वारा की जाती है। वरिष्ठ वन अधिकारियों को रेंज वन अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं और तकनीकी अधिकारियों के सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभाग और रेंज स्तर द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखकर नियमित रूप से आंतरिक निगरानी की जा रही है।

(ii) **तृतीय पक्ष निगरानी:-** तृतीय पक्ष निगरानी उन तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कैम्पा गतिविधियों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों जो राज्यों के अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं।

(iii) **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी:-** क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी अपने समन्वय के तहत कैम्पा गतिविधियों की निगरानी करते हैं। चूंकि आईआरओ द्वारा वन विवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी/जांच और मंत्रालय के लिए अनुशंसित किया जा रहा है, इसलिए वे सीएएमपीए गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

(iv) **एफएसआई आधारित ई-ग्रीन वॉच:-** ई-ग्रीन वॉच वृक्षारोपण की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधारित पोर्टल है। यह एफएसआई, देहरादून द्वारा किया जाता है जो वृक्षारोपण की केएमएल फाइलों के सत्यापन पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे जमीनी सत्यापन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

(v) **राष्ट्रीय कैम्पा /केंद्र सरकार द्वारा निगरानी:-** राष्ट्रीय कैम्पा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी समय-समय पर कैम्पा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं।

***

कृत्रिम पुनरुत्पादन, असम

कृत्रिम प्राकृतिक पुनरुत्पादन एवं रिक्त स्थान रोपण, गोवा

अध्याय 4

राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा द्वारा लिए गए निर्णय

अध्याय 4

राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा द्वारा लिए गए निर्णय

4.1 शासी निकाय की बैठक

4.1.1 शासी निकाय की चौथी बैठक 29 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यपालक समिति के अन्य अनुमोदनों और निर्णयों को नोट किया और मंजूरी दी। शासी निकाय ने निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति दी:

(i) भारत में वन क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण हेतु भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंपस विकसित करना।

(ii) भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समर्पित योजना संचालन एजेंसी की स्थापना करना।

(iii) गुजरात के बानी घासभूमि में चीता का संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम।

4.2 कार्यपालक समिति की बैठकें

4.2.1 कार्यपालक समिति की 23वीं बैठक 13 जून 2023 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(i) एपीओ और संलग्नक: राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए एपीओ (वार्षिक कार्य योजना) और संलग्नकों को राज्य/ केंद्र राज्य क्षेत्र के कैम्पा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या राज्य/ केंद्र राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसी तरह, संबंधित संस्था/ एजेंसी के प्रमुख और कार्यक्रम विभाग को भी राष्ट्रीय निधि से समर्थन प्राप्त करने के लिए योजना पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(ii) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट की स्थिति: समिति ने राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट की स्थिति पर ध्यान दिया और सभी राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से 2022-23 तक वार्षिक खातों को पूरा करने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को ऑडिट कराने के लिए सूचित करने का अनुरोध किया।

(iii) वन भूमि विचलन और सी.ए (प्रतिकरात्मक वनरोपण) की स्थिति: समिति ने 1980 से अब तक वन भूमि डायवर्सन प्रस्तावों के खिलाफ किये गए सी.ए रिकॉर्ड्स के मेलजोल की स्थिति पर ध्यान दिया। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम और राज्यों/केंद्र राज्य क्षेत्रों के कैम्पा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ गठित समिति द्वारा रिकॉर्ड्स की संकलन प्रक्रिया को तेज करने की सलाह दी गई।

(iv) गवर्नमेंट ई-मॉर्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीदारी: यह निर्णय लिया गया कि सभी खरीदारी गवर्नमेंट ई-मॉर्केटप्लेस के माध्यम से की जाएं।

(v) समिति द्वारा अनुमोदित योजनाएं: समिति ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, और उत्तराखंड राज्य कैम्पा प्राधिकरणों की संचालन की वार्षिक योजना में मौसम के अनुसार अनिवार्य और समयबद्ध गतिविधियों को अनुमोदित किया।

4.2.2 कार्यपालक समिति की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के विवरण निम्नलिखित हैं:

दिनांक: 31 अगस्त 2023

(i) राज्यों से क्षतिपूर्ति वनरोपण के डेटा का मिलान पूरा करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में, क्षेत्रीय कार्यालय, नोडल अधिकारी, और कैम्पा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की एक समिति का गठन किया गया है, जो 1980 से अब तक वन भूमि डायवर्सन और सी.ए के डेटा का मिलान और सत्यापन करेगी। यदि सी.ए स्थलों में कोई परिवर्तन होता है, तो केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। समिति ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वन डायवर्सन प्रस्तावों के संदर्भ में क्षतिपूर्ति वनरोपण का मिलान करने की स्थिति पर ध्यान दिया।

(ii) समिति को सूचित किया गया कि क्षतिपूर्ति वनारोपण के अनुमान के लिए निर्देशात्मक मार्गदर्शिकाओं की तैयारी हेतु एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य विकृत वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना और गैर-वन भूमि पर नए वन का निर्माण करना है।

(iii) कार्यपालक समिति ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन, निगरानी और खर्चों के लेखांकन पर करीबी निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को सलाह दी गई कि वे सीएएफ अधिनियम 2016 के तहत राज्य स्टीयरिंग समिति की नियमित बैठकें करने के मामले को संबंधित मुख्य सचिव से उठाएं। मुख्य सचिव द्वारा नियमित बैठकें कैम्पा निधि की समय पर रिलीज़, उचित कार्यान्वयन, निगरानी और राज्य/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के कैम्पा खातों का नियमित ऑडिट सुनिश्चित करेंगी।

(v) कार्यपालक समिति ने यह नोट किया कि राज्य कैम्पा कार्यालय पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं और व्यावसायिक मानव संसाधन की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वैधानिक पद भी रिक्त हैं। कार्यपालक समिति ने यह व्यक्त किया कि राज्य/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के कैम्पा को पर्याप्त अधिकारियों और व्यावसायिक मानव संसाधन के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिनियम में निर्धारित कार्यों को सही ढंग से किया जा सके।

(vi) कार्यपालक समिति ने दोहराया कि राज्य प्राधिकरणों को कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक दृष्टिकोण योजना तैयार करनी चाहिए। संचालन की वार्षिक योजना को राष्ट्रीय कैम्पा को

(vii) भेजा जाना चाहिए, साथ ही इंटीग्रेटेड एपीओ प्रारूप भेजा जाना चाहिए, ताकि वन गतिविधियों की समग्र तस्वीर और विभिन्न मदों के तहत उपलब्ध निधि का स्पष्ट चित्रण किया जा सके।

(viii) समिति ने चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारों द्वारा कैम्पा निधि के राज्य वन विभागों को रिलीज़ करने में लंबी देरी हो रही है, जो क्षतिपूर्ति वनारोपण और अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही है। मुख्य सचिव और एसीएस/पीएस वित्त को समय पर कैम्पा निधि की रिलीज़ के लिए नियमित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

(ix) चूंकि राज्य कैम्पा निधि गैर-लंबित और ब्याज अर्जन करने वाले होते हैं, समिति ने यह नोट किया कि कई राज्य सरकारें सीएएफ अधिनियम के तहत राज्य कैम्पा निधि पर जमा ब्याज राशि को क्रेडिट नहीं कर रही हैं।

(x) राज्य कैम्पा को वार्षिक खातों भेजने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित ऑडिट शुरू करने की आवश्यकता है और राज्य के महालेखा परीक्षक से ऑडिट को त्वरित करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

(xi) समिति ने बिहार, दिल्ली और हरियाणा राज्य कैम्पा प्राधिकरणों के एपीओ में मौसम के अनुसार समयबद्ध और अनिवार्य गतिविधियों को मंजूरी दी।

4.2.3 कार्यपालक समिति की 25वीं बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

दिनांक: 2 नवम्बर 2023

(i) समिति को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण डिजिटल वार्षिक कार्य योजना के विकास की प्रक्रिया में है, ताकि राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाया जा सके।

(ii) समिति ने सुझाव दिया कि राज्य को प्रत्येक परियोजना के अनुसार यह विचार करना चाहिए कि वन भूमि विचलन के समय कितनी लेवी एकत्र की गई थी और क्या इस राशि को वर्तमान एपीओ में वनरोपण के लिए प्रस्तावित करते समय ध्यान में रखा गया है और अंतर राशि क्या है।

(iii) कार्यपालक समिति ने सभी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयो से अनुरोध किया कि वे 1980 से अब तक प्रत्येक वन भूमि विचलन प्रस्ताव के लिए सत्यापित और पुष्टि किए गए क्षतिपूर्ति वनरोपण के डेटा को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय कैम्पा को प्रस्तुत करें।

(iv) समिति ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य कैम्पा के एपीओ को मंजूरी दी। समिति ने कर्नाटका और मिजोरम राज्य कैम्पा के अतिरिक्त एपीओ को भी मंजूरी दी। समिति ने झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य कैम्पा के 2023-24 एपीओ के स्थगित विषयों को भी मंजूरी दी।

4.2.4 कार्यपालक समिति की 26वीं बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

दिनांक: 8 दिसंबर 2023

(i) समिति ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य/ केंद्र राज्य क्षेत्र और विभिन्न कार्यक्रम/योजना क्रियान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय प्राधिकरण को कम से कम बैठक से 15 दिन पहले योजनाओं/ एपीओ प्रस्तावों को भेजना चाहिए।

(ii) समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों से परियोजना अनुसार वन विचलन प्रस्तावों और क्षतिपूर्ति वनरोपण की स्थिति पर सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त की जाए, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत वन मंजूरी के तहत सी.ए के लिए आरक्षित भूमि की स्थिति भी शामिल हो, जैसा कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में उल्लिखित है।

(iii) समिति ने जम्मू और कश्मीर एवं तमिलनाडु राज्य कैम्पा के अतिरिक्त एपीओ को मंजूरी दी। समिति ने हरियाणा राज्य कैम्पा के 2023-24 के स्थगित आइटम को भी मंजूरी दी।

(iv) निम्नलिखित योजनाओं को राष्ट्रीय निधि से समर्थन प्राप्त करने के लिए शासी निकाय को अनुमोदन के लिए अनुशंसा की गई:

- भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना को संचालित और प्रबंधित करने के लिए समर्पित सेल की स्थापना का प्रस्ताव, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- बानी घासभूमि, गुजरात में चीतों के संरक्षण प्रजनन का प्रस्ताव।
- उत्तर-पूर्व में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान परिसर के विकास और भारत में वन क्षेत्र के क्षमता सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव।

4.2.5 कार्यपालक समिति की 27वीं और 28वीं बैठक
दिनांक: 28 दिसंबर 2023 और 22 मार्च 2024

कार्यपालक समिति की 27वीं बैठक 28 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई। समिति ने अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य कैम्पा प्राधिकरणों के अतिरिक्त और स्थगित एपीओ आइटम्स को मंजूरी दी।

4.2.6 कार्यपालक समिति की 28वीं बैठक 22 मार्च 2024 को आयोजित हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

(i) समिति ने 1980 से अब तक वन भूमि के विचलन के प्रत्येक प्रस्ताव के खिलाफ परियोजना वार क्षतिपूर्ति वनरोपण का मिलान के समीक्षा की। समिति ने यह नोट किया कि सत्यापित डेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु से प्राप्त हो चुका है। समिति ने राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक पूर्ण प्रतिकरात्मक वनरोपण के लिए पूरण प्रमाण पत्र प्रदान करें, जहाँ आगे किसी प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।

(ii) समिति ने राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों को निर्देशित किया कि वे ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर वनरोपण और अन्य स्थल-विशिष्ट गतिविधियों के केएमएल फ़ाइलों को समय पर अपलोड करें और वन सर्वेक्षण भारत के साथ साझा करें ताकि निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए इसे उपयोग में लाया जा सके।

(iii) समिति ने राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों को निर्देशित किया कि वे कैम्पा गतिविधियों की योजना बनाने और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक दृष्टिकोण योजना तैयार करें।

(iv) समिति ने राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों को निर्देशित किया कि वे अपने राज्य/ केंद्र राज्य कैम्पा कार्यालयों को मजबूत करें।

(v) कार्यपालक समिति ने कैम्पा निधि के वन विभाग को देरी से रिलीज़ होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे नर्सरी की गुणवत्ता और वनरोपणों के जीवित रहने और वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव ने राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख से आग्रह किया कि वे राज्य सरकारों से कैम्पा निधि के समय पर रिलीज़ की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पहल करें।

(vi) समिति को सूचित किया गया कि सीएएफ अधिनियम के तहत शासी निकाय, कार्यपालक समिति और अभिचालन समिति की बैठकें कई राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों में आयोजित नहीं हो रही हैं। समिति ने यह जोर दिया कि राज्य/ केंद्र राज्य की शासी निकाय, अभिचालन समिति और कार्यपालक समिति की बैठकें नियमित और समय पर आयोजित की जानी चाहिए।

(vii) समिति ने गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य कैम्पा प्राधिकरणों के एपीओ में मौसम के अनुसार समयबद्ध और अनिवार्य गतिविधियों को मंजूरी दी। समिति ने जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड राज्य कैम्पा के अतिरिक्त एपीओ को मंजूरी दी और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य कैम्पा के 2023-24 एपीओ के स्थगित आइटम्स को मंजूरी दी।

4.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कैम्पा गतिविधियों की परियोजना समीक्षा समिति बैठक

राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा समर्थित योजनाओं/परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए दूसरी परियोजना समीक्षा और निगरानी समिति की बैठक 20 फरवरी, 2024 को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति ने 28 चल रही योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उसे नोट किया।

4.4. निगरानी समूह की बैठकें

राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह की सातवीं बैठक 4 मई, 2023 को वन सर्वेक्षण भारत, देहरादून में आयोजित की गई और इसके विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका-6: निगरानी समूह की बैठकें की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन

एजेंडा	कार्यवाही बिंदु	निर्णय
1. 5वीं और 6वीं निगरानी समूह बैठकों से लंबित मुद्दों की समीक्षा करना। 2. आंतरिक और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा करना। 3. राज्य-स्तरीय निगरानी के लिए नमूना ढांचे का अन्वेषण करना। 4. भारतीय वन सर्वेक्षण में कोर समितियों का गठन करना। 5. नए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल और भारतीय वन सर्वेक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी सेल का विकास करना। 6. क्षेत्रीय यात्राओं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला की योजना बनाना। 7. राज्य और राष्ट्रीय कैम्पा के बीच डेटा प्रवाह का विश्लेषण करना। 8. बेहतर रिपोर्टिंग के लिए निगरानी सेल पहलों पर विचार करना।	1. राष्ट्रीय कैम्पा 5वीं और 6वीं निगरानी समूह बैठकों से लंबित मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट प्रदान करेगा। निगरानी एजेंसियों और आंतरिक और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्टों की सूची को सैम्पलिंग विधियों, तीव्रता, निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ साझा करेगा। यदि उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण आवश्यक डेटा ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से प्राप्त करेगा। 2. पोर्टल से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कैम्पा गतिविधियों पर डेटा निकालकर विश्लेषण करेगा, जिसमें रिपोर्ट किए गए परिवर्तनीय और जानकारी की पूर्णता शामिल है। 3. राष्ट्रीय कैम्पा संपत्ति निर्माण के लिए विस्तृत मानक साझा करेगा, जिसमें प्रकार, वित्तीय सीमा और विनिर्देश शामिल होंगे। 4. अनिवार्य राज्य-स्तरीय अनुमान लगाने के लिए सैम्पलिंग ढांचे और रणनीतियों का विकास किया जाएगा। 5. जून-जुलाई 2023 में एक राज्य में निगरानी समूह क्षेत्रीय यात्रा आयोजित की जाएगी। 6. भारतीय वन सर्वेक्षण में दो समितियाँ स्थापित की जाएँगी, जिनमें तकनीकी सलाहकार समिति और सेवानिवृत्त वन अधिकारियों की समिति शामिल होंगी। 7. भारतीय वन सर्वेक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी सेल स्थापित किया जाएगा जो ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के विकास का समर्थन करेगा। 8. आईआईआरएस और एफ आर आई-डीयू, देहरादून में निगरानी समूह को सशक्त बनाने के लिए कैंपस भर्ती की जाएगी। 9. जून-जुलाई 2023 में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला की योजना बनाई जाएगी और उसका आयोजन किया जाएगा।	1. नए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के लिए वैकल्पिक विकास विकल्पों की जांच करना (एन.आई.सी. के साथ या बिना) और अगले निगरानीसमूह बैठक में प्रस्तुत करना(कार्य: निगरानी सेल, भारतीय वन सर्वेक्षण) 2. कैम्पा द्वारा वित्तपोषित कार्यों की विस्तृत सूची और श्रेणीकरण प्रदान करना। एक श्रेणीवार सूची तैयार करना (जैसे, वृक्षारोपण, संपतियाँ) और निगरानी के लिए नमूना आकार निर्धारित करना। (कार्य: राष्ट्रीय कैम्पा और निगरानी सेल, भारतीय वन सर्वेक्षण) 3. राज्य- कैम्पा और राष्ट्रीय-कैम्पा के बीच डेटा प्रवाह और विनिमय तंत्र पर रिपोर्ट प्रदान करना। (कार्य: राष्ट्रीय कैम्पा) 4. ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से कैम्पा गतिविधियों का डेटा निकालना और विश्लेषण करना, पूर्णता की जांच करना और निगरानी समूह को निष्कर्ष रिपोर्ट करना। (कार्य: निगरानी सेल, भारतीय वन सर्वेक्षण) 5. राज्य-स्तरीय अनुमान के लिए पैरामीटर, प्रारूप, और सैम्पलिंग रणनीतियाँ विकसित करना। (कार्य: निगरानी सेल, भारतीय वन सर्वेक्षण) 6. निगरानी समूह के लिए एक राज्य में क्षेत्रीय यात्रा आयोजित करना, प्राथमिकता जून-जुलाई 2023 में। (कार्य: निगरानी सेल, भारतीय वन सर्वेक्षण)

मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, पश्चिम बंगाल

मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, उत्तराखंड

अध्याय 5

राष्ट्रीय कैम्पा के लिए लेखा और लेखा परीक्षा 2023-24

अध्याय 5
राष्ट्रीय कैम्पा के लिए लेखा और लेखा परीक्षा, 2023-2024

राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक खाते तैयार किए गए थे और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए गए। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा (अक्टूबर 2024 में) जारी किया गया है, जिसमें अंतिम टिप्पणियाँ दी गईं कि यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2023-24

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024

Amount (in Rupees)

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	₹ 95,74,34,18,841.94	₹ 82,53,88,96,584.40
RESERVES AND SURPLUS	2	₹ -	₹ -
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	₹ -	₹ -
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	₹ -	₹ -
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	₹ -	₹ -
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	₹ -	₹ -
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	₹ 1,80,61,59,63,764.06	₹ 2,33,16,44,37,621.34
TOTAL		₹ 2,76,35,93,82,606.00	₹ 3,15,70,33,34,205.74
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	₹ 49,54,282.66	₹ 11,51,180.40
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	₹ -	₹ -
INVESTMENTS - OTHERS	10	₹ -	₹ -
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	₹ 2,76,35,44,28,323.34	₹ 3,15,70,21,83,025.34
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		₹ -	₹ -
TOTAL		₹ 2,76,35,93,82,606.00	₹ 3,15,70,33,34,205.74
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(R. S. SINHA)
Joint CEO, National Authority

राम शंकर सिन्हा/Rama Shankar Sinha
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण
Joint Chief Executive Officer, National Authority
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2023-24

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

Amount (in Rupees)

INCOME	SCHEDULE	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	₹ -	₹ -
Grants/Subsidies	13	₹ -	₹ -
Fees/Subscriptions	14	₹ -	₹ -
Income from Investments (Income on Investments from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	₹ -	₹ 5,98,30,95,343.00
Income from Royalty. Publication etc.	16	₹ -	₹ -
Interest Earned	17	₹ 2,73,03,85,378.00	₹ 2,70,10,84,217.00
Other Incomce	18	₹ 12,56,52,52,131.00	₹ 55,79,60,012.00
Increasce(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	₹ 88,776.00	₹ -
TOTAL(A)		**₹ 15,29,57,26,285.00**	**₹ 9,24,21,39,572.00**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	₹ 13,60,182.00	₹ 81,45,270.00
Other Administrative Expenses etc.	21	₹ 2,54,28,330.00	₹ 1,45,89,493.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	₹ 2,06,32,85,357.00	₹ 2,38,32,42,202.00
Interest	23	₹ -	₹ 2,94,03,541.00
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		₹ 11,30,158.46	₹ 5,66,781.60
TOTAL(B)		**₹ 2,09,12,04,027.46**	**₹ 2,43,59,47,287.60**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		₹ -	₹ -
Transfer to Special Reserve (Specify each)		₹ 13,20,45,22,257.54	₹ 6,80,61,92,284.40
Transfer to/ from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**₹ 13,20,45,22,257.54**	**₹ 6,80,61,92,284.40**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(R. S. SINHA)
Joint CEO, National Authority

रामा शंकर सिन्हा/Rama Shankar Sinha
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण
Joint Chief Executive Officer, National Authority
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2023-24

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	₹ -	₹ -	a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	₹ 4,200.00	₹ 81,45,270.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	₹ 2,46,02,240.00	₹ 1,43,89,493.00
i) In Currert accounts	₹ -	₹ -			
ii) In deposit accounts	₹ -	₹ -			
iii) In savings accounts*	₹ 3,15,70,21,83,025.34	₹ 1,98,31,69,25,675.11			
		₹ -	**II. Payments Made Against Funds For Various Projects**		
			(Name of the Fund Should be Shown along with the particular of		
II. Grants Received			Payments made for each Projects)	₹ 2,06,32,85,357.00	₹ 2,38,32,42,202.00
a) From Goverment of India	₹ -	₹ -			
b) From State Goverments	₹ -	₹ -	**III. Investments And Deposits Made**		
c) From Others Sources (details)	₹ -	₹ -	a) Out Of Earmarked/Endowment Funds	₹ -	₹ -
(Grants for Capital & revenue Exp to be shown separately)			b) Out of Own Funds (Investment-Others)	₹ -	₹ -
III. Income On Investments from			**IV. Expenditure On Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
a) Earmarked/Endow. Funds	₹ -	₹ -	a) Purchase Of Fixed Assets	₹ 46,85,638.00	₹ 7,53,962.00
b) Own Funds (Oth. Investment)	₹ -	₹ 5,98,30,44,667.89	b) Expenditure On Capital Work-in-Progress	₹ -	₹ -
IV. Interest Received			**V. Refund of Surplus Money/Loans**		
a) On Bank Deposits	₹ -	₹ -	a) To the Government of India	₹ -	₹ -
b) Loans, Advances etc.	₹ -	₹ -	b) To the State Governments	₹ -	₹ 2,94,03,241.00
c) Others (8336)	₹ 7,33,10,07,618.00	₹ 9,13,62,37,529.00	c) To other providers of Funds	₹ -	₹ -
Others (8121)	₹ 2,73,03,85,378.00				
V. Other Income (Specify)					
10 % National Fund	₹ 12,48,46,91,290.00	₹ 49,34,17,108.00	VI. Finance Charges (Interest)	₹ -	₹ -
VI. Amount Borrowed			**VII. Other Payments (Specify)**		
	₹ -	₹ -	Funds Sanctioned/ Released to States/Uts	₹ 1,12,36,22,21,613.00	₹ 4,44,07,53,970.00
			10% National Fund	₹ 12,48,46,91,290.00	₹ 49,34,17,108.00
VII. Any Other Receipts (Give details)					
a) Amount deposited by States to National Authority	₹ 64,96,50,01,733.00	₹ 1,09,07,81,20,387.34	**VIII. Closing Balance**		
b) Any other receipt (Interest earned on projects funds)	₹ 8,05,60,841.00	₹ 6,45,42,904.00	a) Cash in Hand	₹ -	₹ -
			b) Bank Balances		
			i) In Currert accounts	₹ -	₹ -
			ii) In deposit accounts	₹ -	₹ -
			iii) In savings accounts	₹ 2,76,35,43,39,547.34	₹ 3,15,70,21,83,025.34
TOTAL	₹ 4,03,29,38,29,885.34	₹ 3,23,07,22,88,271.34	TOTAL	₹ 4,03,29,38,29,885.34	₹ 3,23,07,22,88,271.34

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(R. S. SINHA)
Joint CEO, National Authority

रामा शंकर सिन्हा/Rama Shankar Sinha
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण
Joint Chief Executive Officer, National Authority
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग,
नई दिल्ली-110002

NO: DGA/CE/ESD/EA/SAR/CAMPA/2023-24/PR-132533/233 दिनांक: 29 OCT 2024

सेवा में,

Chief Executive Officer,
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Jor Bagh, Delhi – 110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi for the year 2023-24**

महोदय,

मुझे वर्ष 2023-24 के लिए Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेसोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज़ जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय एवं दो प्रतियां भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्याल को सूचित की जाएं।

भवदीया
-sd-
उप निदेशक(पर्यावरण)

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Copy to:

1. सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अली गंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

उप निदेशक(पर्यावरण)

Separate Audit Report on the Accounts of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31st March 2024

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (National Authority) as on 31 March 2024 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Authority, except for the issues mentioned below, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that: -

A disclaimer of opinion on the financial statements of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) was issued by the C&AG of India for the years 2018-19 to 2021-22, primarily due to non-production/non-maintenance of proper records relating to opening/closing balances of 'Corpus/Capital Fund- Schedule 1 and Deposit- Schedule 11' by the Authority and non-reconciliation of accounts. In the financial statement for the year 2023-24, while these issues are largely resolved, the issues regarding reconciliation and the reliability of opening/closing balances that persist have been commented in this SAR.

A. Balance Sheet

1.Overstatement of assets and liabilities

Based on the information furnished by the National Authority during the audit, an amount of ₹ 266.90 crore pertaining to releases and refunds made by National Authority in 2018-19 and 2019-20, but not included as payments in its accounts, was identified. The same needs to be accounted for in the annual accounts to enable the reconciliation of balance to that extent. This had resulted in overstatement of liabilities as well as overstatement of assets both by ₹ 266.90 crore.

B. Income and Expenditure Account

-

C. Receipt and Payment Account

-

D. Accounting Policies

-

E. General

1. Non-reconciliation between accounts of National CAMPA and PAO

1.1 Non-reconciliation of balances of National/State Deposits with Public Account

As per the accounting procedure prescribed under para 7 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, the Pay and Accounts Office, MoEF&CC has to maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation

on monthly basis with the National Authority. The Separate Audit Report of National CAMPA for the year 2022-23 also commented on an unreconciled amount of ₹864.56 crore between the annual accounts of National Authority and PAO. This unreconciled balance stood at ₹866.42 crore as on 31st March 2024. Out of this, an amount of ₹266.90 crore has been reconciled by the National Authority but not adjusted in Annual Accounts as commented in section A1.

An amount of ₹599.52 crore was found lying with the Authority under 'National Fund & State Deposits' but was not reflecting in the Public Account in the year 2023-24. Hence, immediate reconciliation of balances needs to be carried out with reference to the broadsheets of Receipts and Payments against each State, as maintained by the P&AO-MoEF&CC, to ascertain the correctness of balances depicted in National Fund as well as State Deposits (Schedule 11).

1.2 Mismatch of receipts from the state between CAMPA and PAO

Amount deposited by States to the Authority during the year 2023-24 was depicted as ₹6,496.50 crore on receipt side of Receipt and Payment Account which does not match with the records of PAO which shows the amount remitted to the Public Account as ₹4,813.76 crore.

The difference of ₹1,682.74 crore was traced to the funds amounting ₹844.46 crore and ₹838.28 crore received by the Authority in the months of February and March 2024 respectively but were not remitted to the Public Account before close of the financial year.

F. Grant-in-Aid

National Authority did not receive any Grant-in-aid during 2023-24.

During 2023-24, National Authority was provided a budget of ₹463.25 crore under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of ₹209.26 crore.

G. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Chief Executive Officer, National Authority CAMPA, through the management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated and other matters mentioned in *Annexure* to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National CAMPA, Delhi as on 31st March 2024 and

b. In as far as it is related to Income & Expenditure Accounts, of the ***surplus*** for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

29/10/2024

Director General of Audit, Central Expenditure
(Environment & Scientific Departments)

Place: New Delhi

Date: 29/10/24

Annexure

Internal Control

1. Adequacy of Internal Audit System

The National Authority is audited by the Internal Audit Wing of MoEF&CC. Internal Audit of the Authority was found conducted up to March 2021 only and has been pending since then.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 Pay Bill Register has not been maintained by the National Authority despite highlighting the same in previous stint of Audit.

2.2 Non-marking of identification marks on fixed items: For proper accounting, inventorization, physical verification, location, write off/auction etc., identification marks on each fixed item is a necessary requirement. However, it was observed that identification marks were missing on the items.

3. System of physical verification of fixed assets

The Authority has conducted the Physical Verification of fixed assets for the period 2023-24.

4. System of physical verification of inventory

The Authority has conducted the Physical Verification of consumables for the period 2023-24.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Annual Accounts and information furnished by the National Authority, no statutory dues were outstanding over six months as on 31.03.2024.

Dy. Director

अध्याय 6

राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत योजनाएँ/परियोजनाएँ

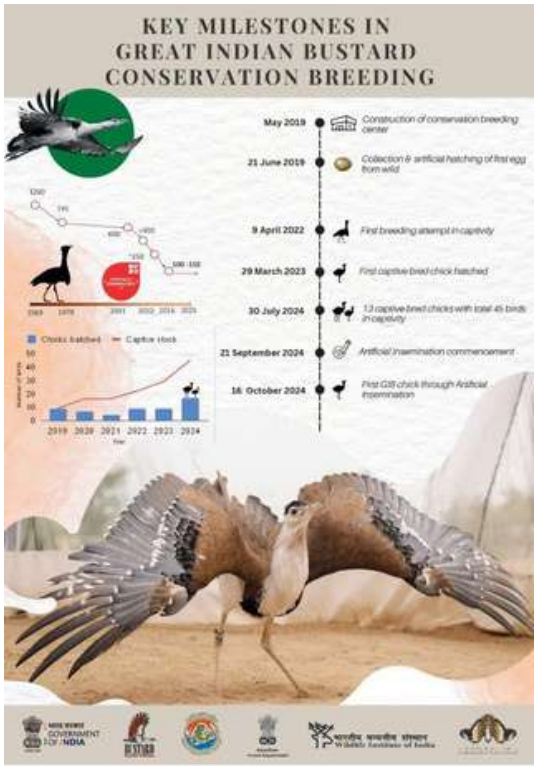

राजस्थान में महान भारतीय गोडावण का संरक्षण प्रजनन

तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में मैन्ग्रोव को स्थिर करने के लिए CAMPA के प्रयास

त्रिपुरा में चेक डैम (अवरोध बांध) का निर्माण

त्रिपुरा द्वारा विकसित FCA एवं CAMPA MIS ऐप में GIS एवं CA मॉड्यूल

उत्तराखंड में रिक्त स्थान भरने हेतु वृक्षारोपण (गैप फिलिंग प्लांटेशन)

अध्याय 6

राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत योजनाएँ/ परियोजनाएँ

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्तपोषित योजनाएँ/परियोजनाएँ निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाई गई हैं -

तालिका 7: वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय निधि से अनुमोदित योजनाओं सहित सतत योजनाएँ

(करोड़ रुपए में, अवधि वर्षों में)

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)/वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई)								
1	पारिस्थितिकी स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान को मजबूत करना	2019-20/ 2025-26	6	313.67	169.26	154.15	आईसीएफआरई	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
2	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में वनों की आग के कारण प्रति हेक्टेयर वास्तविक आधार पर आर्थिक नुकसान का अनुमान।	2020-21/ मार्च 2023	2	3.79	3.4	2.89	आईसीएफआरई	वन संरक्षण प्रभाग
3	वानिकी आविष्कारों के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के पुनरुद्धार के लिए डीपीआर तैयार करना।	2021-2022 / सितम्बर 2024	2	1.17	1.05	0.71	आईसीएफआरई	एनएईबी
4	भारत के वन सीमांत गांवों में लोगों की आजीविका में सुधार के लिए उपयोग के माध्यम से लैंटाना कैमरा का मानचित्रण, निगरानी और प्रबंधन।	2023-24	5	14.49	14.49	सूचना की प्रतीक्षा है	आईसीएफआरई	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
5	एफआरआई हेरिटेज बिल्डिंग का पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग	2023-24	1	10.35	10.35	10.35	आईसीएफआरई-एफ.आर.आई.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
6	एफआरआई, देहरादून के राष्ट्रीय वन कीट संग्रहण (एनएफआईसी) का आधुनिकीकरण	2023-24	1.5	0.98	0.98	0.29	आईसीएफआरई-एफआरआई	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
7	आईसीएफआरई में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्यक्रम इकाई की स्थापना	2023-24	3	10	6.28	1	आईसीएफआरई-एफआरआई	एचएसएम प्रभाग
8	वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक योजना	2022-23	4	22.31	3.81	2.91	वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई)	वन संरक्षण प्रभाग
9	वन अनुसंधान संस्थान के ज़ाइलेरियम का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण।	2023-24	2	1.25	1.25	मार्च 2024 तक संचयी व्यय 0.17 करोड़ है और 31.08.2024 तक प्रतिबद्ध व्यय 0.18 करोड़ है	एफआरआई	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
10	शिक्षा और वानिकी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय वन पुस्तकालय और सूचना केंद्र को मजबूत करना-एफ.आर.आई.	2023-24	1	1.63	1.63	1.43	एफआरआई	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई)								
1	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी) - गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास	2015-16/ दिसंबर 2025	5	23	21.37	17.35	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
2	मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगाई) का संरक्षण-ईएसआरपी	2015-16/ दिसंबर 2025	5	19.95	10.31	6.48	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
3	भारत में डुगोंग और उनके आवासों का पुनरुद्धार-ईएसआरपी	2015-16/ दिसंबर 2025	5	23.58	18.37	13.27	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
4	एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)	2018-19/ मार्च 2025	3	18.66	18.66	12.46	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
5	भारत सरकार के एमओईएफसीसी की वन्य जीव आवास की 'एकीकृत वन्यजीव आवास विकास (आईडीडब्ल्यूएच) योजना के अंतर्गत शामिल लुप्तप्राय प्रजातियों का अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी	2021-2022	2	19.05	11.43	7.42	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
6	भारत में नदी डॉल्फिन आबादी की व्यापक गणना	2021-22/ दिसंबर 2025	1	10.15	10.15	7.76	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
7	समन्वित/ समकालिक हाथी आकलन के लिए द्वितीय चरण का प्रस्ताव	2023-24	6 महीने	3	3	1.5	डब्ल्यूआईआई	एनटीसीए
8	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन -ईएसआरपी	2015-16/ जून 2024	5	35.73	35.73	35.68	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
9	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र (एनसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना	2022-23	4	82.83	-	-	डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव प्रभाग
भारतीय वन सर्वेक्षण								
1	राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा बनाए गए वृक्षारोपण और परिसंपत्तियों के लिए निगरानी प्रोटोकॉल	2019-20	6	13.14	2.9	1.3	एफएसआई	सर्वेक्षण और उपयोग (एस. यू.) प्रभाग
2	रिट याचिका (सिविल) संख्या 109/2008 वन्यजीव प्रथम एवं अन्य बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण	2021-2022	6	48	5.66	3.24	एफएसआई	वन संरक्षण प्रभाग

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
3	ई-ग्रीन वॉच का सुदृढ़ीकरण	2023-24	5	6.32	रिलीज़ नहीं हुआ	-	एफएसआई	सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग
4	वन मंजूरी के लिए वेब जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस)	2023-24	5	5	1	सूचना की प्रतीक्षा है	एफएसआई	सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग
5	जले हुए क्षेत्र के आकलन सहित वन अग्नि निगरानी	2023-24	5	9.01	रिलीज़ नहीं हुआ	-	एफएसआई	सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग
6	सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) डेटा का उपयोग करके जमीन के ऊपर बायोमास (एजीबी) का आकलन	2023-24	5	2.88	0.05	सूचना की प्रतीक्षा है	एफएसआई	सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)								
1	वन परिदृश्य पुनरुद्धार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	2023-24	1	2.86	रिलीज़ नहीं हुआ	-	आईआईएफ एम	एनएईबी
2	बाघ अभयारण्यों से गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रभाव पर अध्ययन	2023-24	1	0.65	0.65	सूचना की प्रतीक्षा है	आईआईएफ एम	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
3	देश के बाघ अभयारण्यों में पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए जाएंगे	2023-24	1	0.82	रिलीज़ नहीं हुआ	-	आईआईएफ एम	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
4	पूर्वोत्तर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) परिसर का विकास करना तथा भारत में वन क्षेत्र की क्षमता को मजबूत बनाना	2023-24	1	4.85 करोड़ से संशोधित कर 11.88 करोड़ रु.	11.88	सूचना की प्रतीक्षा है	आईआईएफ एम	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
5	भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस) के संचालन एवं प्रबंधन के लिए योजना संचालन एजेंसी (एसओए) का एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करना	2023-24	1	1.38	रिलीज़ नहीं हुआ	-	आईआईएफ एम	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
6	वन प्रबंधन, सतत विकास, कार्बन बाजार, जलवायु परिवर्तन, तथा संरक्षण एवं आजीविका में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना	2023-24	2	70	रिलीज़ नहीं हुआ	-	आईआईएफ एम	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)								
1	भारत में बाघों, सह-शिकारियों, शिकार और उनके आवासों की जनसंख्या स्थिति का आकलन	2022-23	1	21.6	21.6	13.61	एनटीसीए	एनटीसीए

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
2	गुजरात के बानी बन्नी घास के मैदान में चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस) का संरक्षण प्रजनन।	2023-24	2	20.31	3	0.02	एनटीसीए	एनटीसीए
जीआईएम/एनएईबी								
1	नगर वन योजना (534/1000 नगर वन)	2020-21	5	895	431.77	-	एसएफडीए	एनएईबी
2	स्कूल नर्सरी योजना	2020-21	5	49.5	4.8	-	एसएफडीए	एनएईबी
3	नमक क्षेत्रों में प्राकृतिक आवास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल-मिष्टी	2023-24	5	100	17.94 (पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा)	सूचना की प्रतीक्षा है	एनएईबी/ जीआईएम	एनएईबी/ जीआईएम
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी								
1	स्थल -विशिष्ट गतिविधि योजना की तैयारी, क्षमता निर्माण, पवन ऊर्जा और प्रजाति कार्य योजनाओं की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना	2019-20/ मार्च 2025	3	3.754	1.61	1.75 (बीएनएचएस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार))	बीएनएचएस	वन्यजीव प्रभाग

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)								
1	वन परिदृश्य पुनरुद्धार और बॉन चैलेंज पर रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकार की क्षमता निर्माण में वृद्धि	2020-21/ जुलाई 2024	3.5	5.9	3.65	3.69 आईयूसीएन द्वारा साझा किए गए पीपीटी के	आईयूसीएन	एनएईबी
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए)								
1	वन्यजीव रोग निगरानी एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र (सीजेडए) की स्थापना	2022-2025	5	3	2.08	2.08	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए)	वन्यजीव प्रभाग
प्रभाव आकलन प्रभाग (आईए प्रभाग)								
1	परिवेश 2.0	2021-2022	5	95.59	44.18	31.76	प्रभाव आकलन प्रभाग	प्रभाव आकलन प्रभाग
एनआईसीएसआई								
1	वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश-एनआईसीएसआई के हैंड होल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव	2016-17	-	5.96	6.81	6.81	एनआईसीएसआई	वन संरक्षण (एफसी) प्रभाग
काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडब्लूएसटी)								
1	राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का क्रियान्वयन और उपयोग के लिए राज्यों की तैयारी	2023-24	3	4.67	0.91	यूसी प्राप्त नहीं हुआ	आईडब्लूएसटी	वन नीति प्रभाग

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	प्रारंभिक वर्ष/ विस्तार	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए में)	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यक्रम प्रभाग
कर्नाटक राज्य प्राधिकरण								
1	कर्नाटक में चंदन और शीशम संपदा का विकास और चंदन भंडार का	2022-23	7	25.65	0.48	यूसी प्राप्त नहीं हुआ	कर्नाटक राज्य प्राधिकरण	-
क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय (आरओएचक्यू)								
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीएएफ अधिनियम को सुदृढ़ बनाने, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव	2023-24	5	57.1162	1.96 (आरओ चेन्नई और आरओ देहरादून सहित)	-	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के डीडीजीएफ	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय (आरओएचक्यू) प्रभाग

***

मध्य प्रदेश में नगर वन

आंध्र प्रदेश में नगर वन

नर्सरी में उगाई गई पौधों द्वारा वृक्षारोपण

गुजरात में मैन्ग्रोव संरक्षण कार्य

अध्याय 7

कैम्पा के अंतर्गत अभिनव कार्य

अध्याय 7

कैम्पा के अंतर्गत अभिनव कार्य

कैम्पा निधि से किए गए कुछ अभिनव कार्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अभिनव कार्य का नाम
1	तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)
2	चरागाह विकास के माध्यम से भूदृश्य पुनरुद्धार
3	वाणिज्यिक बांस वृक्षारोपण
4	गुजरात के बानी घास के मैदान में चीते का संरक्षण प्रजनन

1. तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) -

2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) का उद्देश्य 2023-24 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के दौरान 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों वाले तटीय क्षेत्र में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और संरक्षित करना है। मिशन मिष्टी की गतिविधियों में मैंग्रोव का संरक्षण, वृक्षारोपण और विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, प्रबंधन प्रथाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना शामिल हैं, जो मिष्टी योजना के उद्देश्य हैं।

उद्देश्य:-
मिष्टी योजना का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन बढ़ाना है।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) भारत में समुद्र तट और नमक क्षेत्र वाली भूमि पर मैंग्रोव आवरण को बढ़ाना, विशेष रूप से सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल में हुगली मुहाना पर ध्यान केंद्रित करना।

(ii) समुदाय आधारित मैंग्रोव वृक्षारोपण और पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देना, मैंग्रोव वनों के वृक्षारोपण और रखरखाव में स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।

(iii) कटाव, तूफानी लहरों और समुद्र-स्तर में वृद्धि से सुरक्षा करके तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकीय लचीलापन में सुधार करना।

(iv) कटाव, तूफानी लहरों और समुद्र-स्तर में वृद्धि से सुरक्षा करके तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकीय लचीलापन में सुधार करना।

गुजरात लगभग 1175 वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव कवर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रयासों के माध्यम से, गुजरात ने मैंग्रोव कवर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो 1991 में 397 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1175 वर्ग किलोमीटर हो गई है।

2023-24 के दौरान मैंग्रोव वृक्षारोपण: - कुल 6930 हेक्टेयर

(i) वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण:- 4740 हेक्टेयर
(ii) गुजरात पारिस्थितिकी आयोग द्वारा वृक्षारोपण:- 2190 हेक्टेयर

2. चरागाह विकास के माध्यम से भूदृश्य पुनरुद्धार:

वर्ष 2020-21 से, कैम्पा निधि का उपयोग चरागाह विकास के माध्यम से परिदृश्य की पारिस्थितिक बहाली और प्राकृतिक उत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। 2021 की बारिश में 5753.840 हेक्टेयर, 2022 की बारिश में 1874.00 हेक्टेयर और 2023 की बारिश में 1190.00 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिसमें कुल 8817.840 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। 2024 की बारिश में, अगले वर्ष के लिए 2065.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस गतिविधि से जंगल के किनारे के गांवों को लाभ होगा और उनके बछड़ों के लिए चारा कट और कैरी के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य में, घास के मैदान विकास के लिए, मार्वल (डिकेंथियम एनुलैटम), पवन्या (सेहिमा सल्कैटम), शेडा (सेहिमा नर्वोसम), गिनी घास (मेगाथायरस मैक्सिमस), काला धामन (सेंक्रस सेटिगरस), मद्रास अंजन (सेंक्रस सिलियारिस), और दीनानाथ (पेनिसेटम पेडिकेलैटम) घास प्रजातियों की खेती की जाती है।

3. वाणिज्यिक बांस वृक्षारोपण

बांस एक तेजी से बढ़ने वाला संसाधन है, जो विकास दर में कई बागानों के पेड़ों से आगे निकल जाता है। प्रजातियों के आधार पर, इसे तीन से चार साल में ही काटा जा सकता है। बांस की खेती मिट्टी के स्थिरीकरण और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह खराब हो चुकी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान विकल्प बन जाता है।

भारत में उपलब्ध 130 बांस प्रजातियों में से 21 प्रजातियाँ त्रिपुरा में पाई जाती हैं। त्रिपुरा का बांस हस्तशिल्प देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अगरबत्ती बनाने के लिए पूरे देश की बांस की छड़ियों की 60% आवश्यकता राज्य से पूरी होती है। त्रिपुरा बांस हस्तशिल्प को उनके उत्कृष्ट डिजाइन, उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला और कलात्मक आकर्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस उद्योग में निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, बांस की टाइलें, लेमिनेटेड उत्पाद, प्लाई बोर्ड, नालीदार चादरें आदि जैसे औद्योगिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं और निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, त्रिपुरा वन विभाग ने बांस को वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका सृजन के स्रोत के रूप में काम करने के लिए 2021-22 के दौरान राज्य में वाणिज्यिक बांस रोपण शुरू किया था। वर्तमान में, बांस के पौधे लगभग 13-14 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं और लगभग 95%

स्टॉक मौजूद है। 2022-23 और 2023-24 के दौरान, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के रखरखाव जैसे कि पहली निराई, रिक्त स्थान भरना, मिट्टी का टीला बनाना आदि के साथ-साथ बाड़ लगाने का रखरखाव किया गया है।

4. गुजरात के बानी घास के मैदान में चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) का संरक्षण, प्रजनन और पुनःप्रस्तुति

इस योजना का उद्देश्य गुजरात के बानी घास के मैदानों में चीते को फिर से लाना है। एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) अपनी बेजोड़ गति और शालीनता के लिए जाना जाता है, जो कभी भारत के घास के मैदानों के विशाल, खुले स्थानों पर घूमता था, लेकिन दशकों से भारतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से गायब है। पुन: परिचय केवल एक प्रजाति को बहाल करने के बारे में नहीं है; यह प्रकृति के नाजुक संतुलन को प्रबंधित करने और क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाने के बारे में है।

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) ने परियोजना के पहले दो वर्षों में कुल 20.31 करोड़ रुपये का वित्त आवंटित किया है, पहले वर्ष की गतिविधियों के लिए 14.70 करोड़ रुपये और दूसरे वर्ष की गतिविधियों के लिए 5.61 करोड़ रुपये, ताकि चीता की पुनर्स्थापना प्रयासों को और मजबूत किया जा सके और आवास बहाली और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

***

मिश्टी (MISHTI) योजना, गुजरात

बन्नी घासभूमि का एक दृश्य, गुजरात

अध्याय 8

2023-24 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ

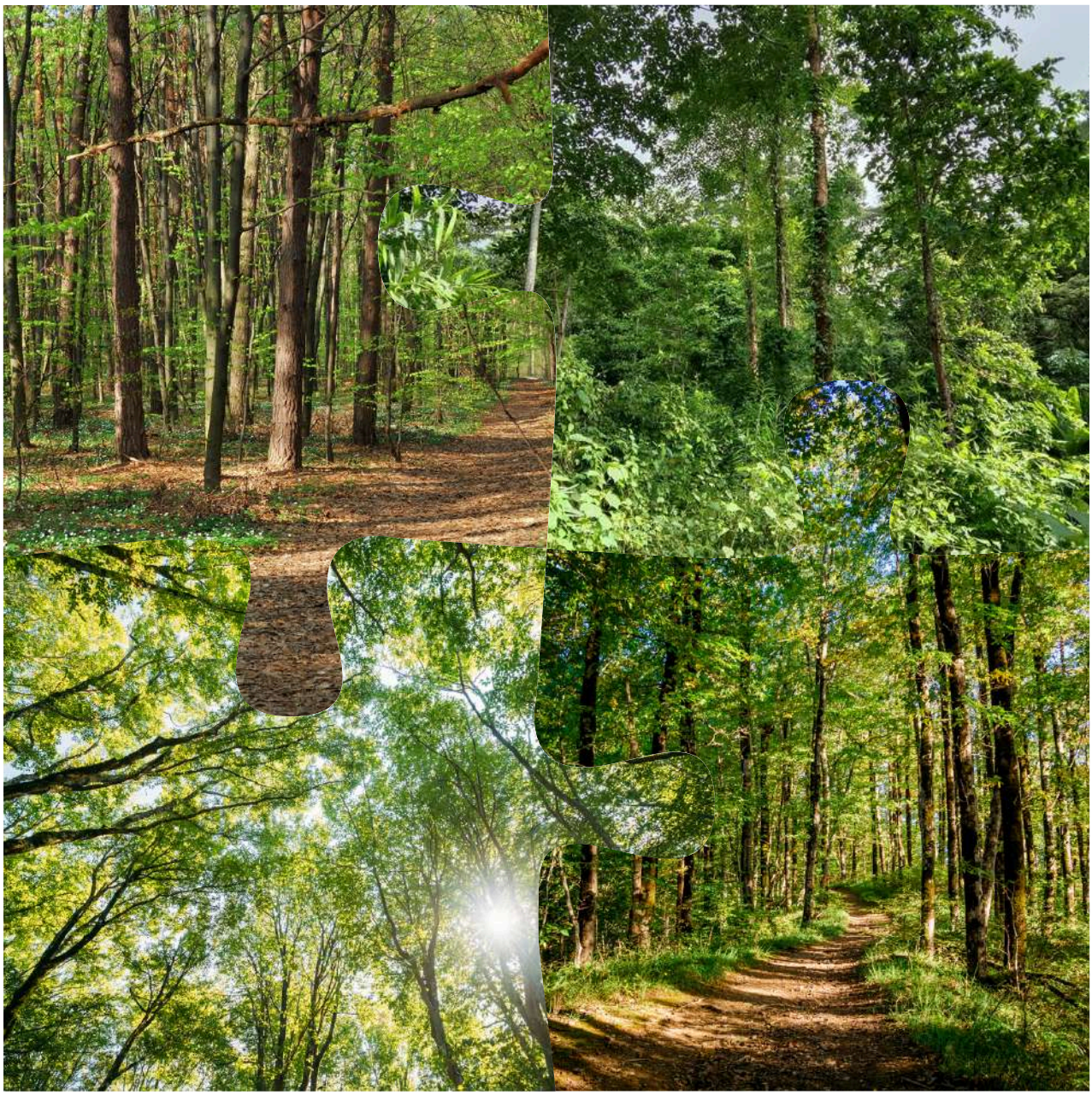

अध्याय 8

2023-24 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ

8.1 एपीओ स्थिति, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य कैम्पा निधि से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी और उपयोग की गई धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एपीओ स्वीकृत	निधि जारी	निधि का उपयोग
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.7	7.72	2.38
2	आंध्र प्रदेश	226.7	146	146
3	अरुणाचल प्रदेश	190.69	190.66	183.32
4	असम	109.69	70.69	74.3
5	बिहार	37.88	37.22	29.59
6	चंडीगढ़	1.54	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	471.21	1000	873.52
8	दिल्ली	47.15	47.15	8.93
9	गोवा	31.28	23.29	28.87
10	गुजरात	250.02	226.76	226.76
11	हरियाणा	69.03	225	59.21
12	हिमाचल प्रदेश	185.14	110	56.26
13	जम्मू एवं कश्मीर	370.55	245.37	148.2
14	झारखंड	412.14	240.38	213.02
15	कर्नाटक	313.89	313.77	288.52

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एपीओ स्वीकृत	निधि जारी	निधि का उपयोग
16	केरल	9.06	5	2.41
17	लद्दाख	60.55	60.55	39.69
18	मध्य प्रदेश	1070.6	959.24	937.52
19	महाराष्ट्र	597.57	417.32	421.15
20	मणिपुर	20.26	20.26	20.26
21	मेघालय	30.91	12.7	0.235
22	मिजोरम	14.6	5.37	4.96
23	ओडिशा	948.04	1055.13	833.87
24	पंजाब	257.1	168.24	87.79
25	राजस्थान	286.49	262	242.35
26	सिक्किम	79.95	79.95	63.03
27	तमिलनाडु	44.149	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	455.3	335.85	237.28
29	त्रिपुरा	85.77	40	19.95
30	उत्तर प्रदेश	172.04	169.7	166.9
31	उत्तराखंड	383.82	347.95	262.06
32	पश्चिम बंगाल	79.4	48.63	25.45
	कुल	**7319.27**	**6871.9**	**5703.79**

नोट- विवरण राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं

8.2 1980 से 2024 तक कैम्पा निधि के अंतर्गत किए गए प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) और दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण (पीसीए) की स्थिति

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि 2024 तक 12.46 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 10.95 लाख हेक्टेयर प्रतिकरात्मक वनरोपण वनरोपण किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	प्रस्तावित प्रतिकरात्मक वनरोपण	प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि (दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में)	प्रतिशत में प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि	शेष प्रतिकरात्मक वनरोपण जो की आगामी वर्षों में पूरा किया जाना है
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	%	हेक्टेयर
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2586.3	460.26	17.8	2126.04
2	आंध्र प्रदेश	41959.43	34461.68	82.13	7497.75
3	अरुणाचल प्रदेश	46353.19	42415.16	91.5	3938.03
4	असम	9725.84	8588.01	88.3	1137.84
5	बिहार	7387.61	6311.62	85.44	1075.99
6	चंडीगढ़	109.95	109.95	100	0
7	छत्तीसगढ	68407.15	57882.64	84.61	10524.51
8	दिल्ली	303.65	319.96	105.37	-16.31
9	गोवा	3549.16	2862.16	80.64	687
10	गुजरात	99305.4	99050.64	99.74	254.76
11	हरियाणा	15241.47	10542.98	69.17	4698.49
12	हिमाचल प्रदेश	33880.42	31363.68	92.57	2516.74
13	जम्मू एवं कश्मीर	31503	28348	89.99	3155
14	झारखंड	82283.21	49262.11	59.87	33021.1
15	कर्नाटक	30110.24	28982.37	96.25	1127.87

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	प्रस्तावित प्रतिकरात्मक वनरोपण	प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि (दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में)	प्रतिशत में प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि	शेष प्रतिकरात्मक वनरोपण जो की आगामी वर्षों में पूरा किया जाना है
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	%	हेक्टेयर
16	केरल	60962.9273	60471.85	99.19	491.08
17	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	मध्य प्रदेश	254243.29	236248.74	92.92	17994.55
19	महाराष्ट्र	110873.98	103691.13	93.52	7182.847
20	मणिपुर	8531.2	6192.334	72.58	2338.866
21	मेघालय	3062.19	1060.71	34.64	2001.48
22	मिजोरम	11247.1671	10391.77	92.39	855.4
23	ओडिशा	84929.6	72933.37	85.88	11996.23
24	पंजाब	23848.911	22858.996	95.85	989.915
25	राजस्थान	52309.47	41455.57	79.25	10853.9
26	सिक्किम	5864.12	5864.13	100	0
27	तमिलनाडु	4114.79	3616.42	87.89	498.37
28	तेलंगाना	42968.53	32300.74	75.17	10667.79
29	त्रिपुरा	7665.14	7120.34	92.89	544.8
30	उत्तर प्रदेश	39105.74	32931.68	84.21	6174.06
31	उत्तराखंड	58543.7	53688.88	91.71	4854.82
32	पश्चिम बंगाल	5514	3349.4	60.74	2164.6
	कुल	**1,246,490.77**	**1,095,137.27**	**87.86**	**151,353.51**

सीए, स. सं. 37, कोटीगांव गांव, अम्बडाफोंड बीट, शिशेवल राउंड, दक्षिण गोवा

नवीन सीए वृक्षारोपण का रोपण, आलोर्णा बीट, इम्रामपुर, उत्तर गोवा

अर्धवृत्ताकार कटक बंध के साथ वृक्षारोपण, उत्तराखंड

8.3 कैम्पा निधि के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत किए गए वृक्षारोपण की स्थिति

(क्षेत्रफल (हेक्टेयर में))

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	प्रतिकरात्मक वनरोपण का भौतिक लक्ष्य	प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि
		हेक्टेअर	हेक्टेअर
1	अंडमान और निकोबार	181.47	95.47
2	आंध्र प्रदेश	1827.75	311.12
3	अरुणाचल प्रदेश	3001.34	2858.42
4	असम	528.27	382.56
5	बिहार	1334.09	1321.09
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	770.242	467.74
8	दिल्ली	45.17	37.34
9	गोवा	470	470
10	गुजरात	2004.94	2004.94
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	1315	888
13	जम्मू और कश्मीर	272.43	262.08
14	झारखंड	3,807.74	2789.84
15	कर्नाटक	718.4	720.29

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	प्रतिकरात्मक वनरोपण का भौतिक लक्ष्य	प्रतिकरात्मक वनरोपण की उपलब्धि
		हेक्टेअर	हेक्टेअर
16	केरल	170.3	117.26
17	लद्दाख	-	-
18	मध्य प्रदेश	1416	5301.66
19	महाराष्ट्र	546.384	544.384
20	मणिपुर	0	0
21	मेघालय	146.87	0
22	मिजोरम	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	1962.91	1628.66
24	पंजाब	993.873	940.38
25	राजस्थान	2003.36	1365.4
26	सिक्किम	104.06	53.19
27	तमिलनाडु	113.82	0
28	तेलंगाना	918.771	551.12
29	त्रिपुरा	810.29	669.85
30	उत्तर प्रदेश	1414.99	1288.6
31	उत्तराखंड	2200	1697.24
32	पश्चिम बंगाल	321.65	139.92
कुल		**29400.12**	**26906.55**

8.4 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कैम्पा के अंतर्गत आवाह क्षेत्र उपचार योजना (कैट) की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में, रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	वृक्षारोपण = 314.5 हेo वृक्षारोपण का रखरखाव = 360.50 हेक्टेयर नर्सरियों का निर्माण = 10.5 लाख नर्सरियों का रखरखाव = 6.12 लाख सीमा स्तंभ = 60 संख्या चट्टानों से भरे बांध = 170 संख्या बांधों की जांच = 26 संख्या पीटी/एमपीटी = 77 संख्या सीपीटी = 4041 क्यूबिक मीटर बाड़ = 2000 आरएमटी वानस्पतिक उपाय परियोजना ओवर हेड्स/ प्रशासनिक प्रभार = 0.0 अन्य: पत्थर की दीवारें = 10 किमी, अग्नि रेखाएं = 1000 मीटर	11.37
3	अरुणाचल प्रदेश	वृक्षारोपण = 1000 हेo वृक्षारोपण सृजन का संवर्धन = 200 हेo वृक्षारोपण का रखरखाव (दूसरा एवं तीसरा वर्ष) = 200 हेo पौध वितरण = 100 हेo स्थानान्तरणशील खेती को नियंत्रित करने के लिए भूमि उपयोग कार्यक्रम: पट्टी वृक्षारोपण = 1895.11 हेo कंपित खाइयां = 113.09 हेo फसल की पट्टियों को ढकें = 1981.60 हेo वनस्पति बाड़ = 27.40 हेo सिल्वीकल्चरल पट्टियाँ = 4018 हेo बेंच प्रशिक्षण = 70 हेo मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग/यांत्रिक उपाय: डीआरपीबीडी =358 संख्या एलबीसीएफ = 235 संख्या कंपित खाइयां= 159112 संख्या चारागाह एवं चारे का विकास = 631 हेo पायलट क्षेत्रों का उपचार, वृक्षारोपण एवं खेती = 121.06 हेo वनस्पति अवरोधों के माध्यम से कटाव नियंत्रण = 1385212 संख्या पौधारोपण का रखरखाव (6000 हेक्टेयर) और दूसरे तथा तीसरे वर्ष का संचालन (1200 हेक्टेयर)	20.14

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
4	असम	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	24 कार्य	5.47
8	दिल्ली	शून्य	शून्य
9	गोवा	शून्य	शून्य
10	गुजरात	कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण = 250 कार्य	2.03
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	नया वृक्षारोपण = 775 हेo मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य : 134335 आरएमटी बुनियादी ढांचे का विकास और वन संरक्षण = 75 संख्या वन्य जीवन गतिविधियाँ = 33 संख्या अन्य कार्य = 2278 संख्या नर्सरी तैयार करना = 21.65 लाख पौधे और 8 नर्सरी क्षीण वन क्षेत्र का विकास = 256 हेक्टेयर	25.83
13	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य
14	झारखंड	जलविभाजन प्रबंधन = 7 प्रभाग	5
15	कर्नाटक	पौधरोपण का रखरखाव = 176.07 हेक्टेयर	0.66
16	केरल	शून्य	शून्य
17	लद्दाख	शून्य	शून्य
18	मध्य प्रदेश	79962 हेक्टेयर	20.61
19	महाराष्ट्र	-	9.23

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
20	मणिपुर	i. वाटरशेड प्रबंधन ब्रशवुड चेक डैम = 30 संख्या ii. कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण: अग्रिम कार्य = 10 मौजूदा पुराने पौधरोपण का रखरखाव = 3375 हेo iii. वन अवसंरचना iv. निगरानी और आकस्मिकता	2.66
21	मेघालय	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	145	1.15
24	पंजाब	शून्य	शून्य
25	राजस्थान	एलएस	4
26	सिक्किम	1375 हेo	9.8
27	तमिलनाडु	कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण = 5 हेo	0.598
28	तेलंगाना	(l) जल संभर प्रबंधन (संख्या में) = 1075-आरएफडी, 116-एमपीटी, 62-पीटी, 6001-एससीटी, 7-सीडी (ii) कटाव की जांच के लिए वृक्षारोपण = 30 किमी बंड रोपण, दुर्लभ औषधीय प्रजातियों का 70 हैक्टेयर पौधरोपण (iii) कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधियाँ: (a) परिधीय खाई = 35 किमी (b) पहाड़ियों से गुजरने वाली नहर में खुरदरा पत्थर पैक = 6 किमी (c) बुनियादी ढांचा (d) नर्सरी = 4 संख्या (e) एफआरओ क्वार्टर = 1 संख्या (f) वाहन किराए पर लेना = 1 संख्या (g) अवशेष ब्लॉक में फायरलाइनों का निर्माण (h) फायरलाइन्स = 45 किमी (i) फायरलाइन्स का रखरखाव = 7 किमी (j) अग्निशमन उपकरण = 4 नग (k) सामाजिक-आर्थिक घटक = एलएस (l) प्रशासनिक लागत = एलएस (m) अन्य = एलएस	7.323
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
30	उत्तर प्रदेश	एलएस	0.56
31	उत्तराखंड	i. वाटरशेड प्रबंधन = 13993 संख्या ii. मृदा अपरदन की जांच के लिए वृक्षारोपण = 4442 हेक्टेयर iii. कैट पीएमयू = 5 संख्या	68.82
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
	कुल		**195.25**

जल संचयन संरचना, हमीरपुर वन प्रभाग, हिमाचल प्रदेश

जल संचयन संरचना, हमीरपुर वन मंडल, हिमाचल प्रदेश

8.5 कैम्पा के अंतर्गत एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(क्षेत्रफल (हेक्टेयर में), रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	(i) फसल मुआवजा और मानव चोटें: एलएस, (ii) वॉच टावरों का निर्माण: 1, (iii) फायर लाइन निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास: फायर लाइन निर्माण 10 किमी और रखरखाव- 10 किमी, ईईसी में सुधार, फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का रखरखाव, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना आदि, (iv) पुराने चेक डैम का निर्माण/मरम्मत: चेक डैम 1 नग, सॉसर पिट्स को 1700 एलटीएस पानी उपलब्ध कराना, प्राकृतिक जल संसाधनों की डी-सिल्टिंग: 5 संख्या	0.78
3	अरुणाचल प्रदेश	(1) झोपड़ी के साथ चेक गेट का निर्माण: 6 संख्या (2) गश्ती दल/दल: 53 संख्या (3) एमएस एंगल आयरन पोस्ट के साथ नाइट विजन विनाइल साइनेज का निर्माण @ 1 संख्या/किमी 60 संख्या/30 किमी (4) स्कूल में जागरूकता शिविर/ब्रोशर की छपाई/साइनेज का रखरखाव: 12 संख्या (5) निगरानी और मूल्यांकन: एलएस (6) वृक्षारोपण का निर्माण: 12 हेक्टेयर (7) वॉच टावर का निर्माण: 9. संख्या (8) अपशिष्ट प्रबंधन योजना: 3 संख्या (9) समृद्ध वन्यजीव आवास और गलियारों की पहचान: 3015 संख्या (10) ऊंचे पौधे लगाकर पशु क्रॉसिंग के लिए कैनोपी कनेक्टिविटी: 2400 संख्या (11) हेक्सागोनल जागरूकता शेड: 1 संख्या (12) बचाव और उपचार: एलएस (13) दवा और उपकरण सहित बचाव उपचार केंद्र का निर्माण: 1 संख्या (14) स्पीड ब्रेकर: 12 संख्या (15) व्याख्या केंद्र का निर्माण: 1 संख्या (16) वाहन: 8 संख्या (17) मोटर साइकिल: 2 संख्या (18) रोजगार सृजन: 45 लाभार्थी (19) एवेन्यू प्लांटेशन: 3 किमी (20) आकस्मिक चालक: 4 संख्या (21) आकस्मिक प्रभार: एलएस (22) पशु आश्रय स्थलों का नवीनीकरण बाड़ा: एलएस (23) बाह्य स्थल संरक्षण: एलएस (24) पशु चिकित्सक की नियुक्ति: एलएस (25) झोपड़ी के साथ चेक गेट का रखरखाव: 8 संख्या (26) पीओएल और एम/साइकिल और वाहन का रखरखाव: 23 संख्या (27) टेंडिंग ऑपरेशन, बाड़ का रखरखाव: 7700 आरएमटी/ 14 हेक्टेयर (28) पशु शेड का रखरखाव: 6 संख्या	6.09

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय
4	असम	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	183 कार्य	8.88
8	दिल्ली	शून्य	शून्य
9	गोवा	शून्य	शून्य
10	गुजरात	शून्य	शून्य
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	शून्य	16.73
13	जम्मू एवं कश्मीर	-	10.56
14	झारखंड	24 डिवीजन	35.17
15	कर्नाटक	-	3.12
16	केरल	शून्य	शून्य
17	लद्दाख	शून्य	शून्य
18	मध्य प्रदेश	87036 हेक्टेयर	8.28
19	महाराष्ट्र	-	1.92
20	मणिपुर	(1) अग्रिम कार्य (एएनआर): 25 (2) खरपतवार हटाना: 03	0.26
21	मेघालय	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	113 परियोजनाएं	107.24
24	पंजाब	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लक्ष्य	
		भौतिक	**वित्तीय**
25	राजस्थान	(1) परवन बांध परियोजना (वन्यजीव कोटा संभाग): एल.एस (2) मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा में चंबल भीलवाड़ा पाइपलाइन परियोजना: एलएस	6.5
26	सिक्किम	(1) पूर्वी सिक्किम में पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर लातुई आरएफ में फ्लैगहिल-मधुबाला-डोकला रोड के निर्माण/सुधार के लिए 52.70 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का अपवर्तन (ii) दक्षिण सिक्किम के मेनम वन्यजीव अभयारण्य के भालेधुंगा में वन्यजीव पर्यटन के संवर्धन हेतु स्काईवॉक के विकास हेतु 2.10 हेक्टेयर वन भूमि का वन-क्षेत्र	2.13
27	तमिलनाडु	वनस्पति एवं जीव-जंतुओं के लिए आवास प्रबंधन (भोजन/आवरण/जल प्रबंधन): 20	0.02
28	तेलंगाना	(1) वनस्पतियों और जीवों के लिए आवास प्रबंधन (खाद्य/आवरण/जल प्रबंधन) (2) जल संसाधन प्रबंधन और एसएमसी संरचनाएं (3) अग्नि लाइनों का निर्माण और अग्नि लाइनों का रखरखाव (4) सुरक्षा को मजबूत करना (5) एटीआर के मुख्य क्षेत्र से गांवों का स्थानांतरण (6) विविध और प्रचार, जागरूकता	59.649
29	त्रिपुरा	वनस्पतियों और जीवों के लिए आवास प्रबंधन (भोजन/आवरण/जल प्रबंधन): 20	0.71
30	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
31	उत्तराखंड	(1) वनस्पतियों और जीवों के लिए आवास प्रबंधन - 80 हेक्टेयर (एएसडब्लू), 60 संरक्षण, जल 14 प्राकृतिक आवास (गुफाएं, वर्षा शेड) का सुधार (2) खरपतवार नियंत्रण-100 हेक्टेयर (3) मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन: सड़कें (20 किमी), पुलिया (10 संख्या), बचाव जाल, उपकरण (18 संख्या), प्रशिक्षण आदि	4.18
32	पश्चिम बंगाल	-	15.58
	कुल		**287.79**

8.6 2023-24 के दौरान निवल वर्तमान मूल्य के तहत कृत्रिम उत्थान और सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्थान की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर)	भौतिक उपलब्धि (हेक्टेयर)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	636.35	204.8
2	आंध्र प्रदेश	6715.38	6663.38
3	अरुणाचल प्रदेश	1996	975.5
4	असम	1983	3587.82
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	9673.81	5877.2
8	दिल्ली	शून्य	शून्य
9	गोवा	50	50
10	गुजरात	5827	6248.50 (रखरखाव सहित)
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	4989	2396
13	जम्मू एवं कश्मीर	13014 & 8.5 लाख पौधे	9600.02
14	झारखंड	7150	9489.95 (रखरखाव सहित)
15	कर्नाटक	8925	8882.72

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर)	भौतिक उपलब्धि (हेक्टेयर)
16	केरल	350.2	-
17	लद्दाख	5705 संख्या	9.32
18	मध्य प्रदेश	41636	3089.27
19	महाराष्ट्र	1755	1450
20	मणिपुर	1335	1335
21	मेघालय	546	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	31126	31079
24	पंजाब	4631	4050
25	राजस्थान	14210	14130
26	सिक्किम	455	480
27	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	7353	5943.92
29	त्रिपुरा	879	869.91
30	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
31	उत्तराखंड	4828.79	4118.75
32	पश्चिम बंगाल	320.46	232.4
	कुल	**170384.99**	**120763.46**

एएनआर वृक्षारोपण, चांदेल बीट, परनेम, उत्तर गोवा

एएनआर एवं रिक्त स्थान वृक्षारोपण का रोपण, एड्डा बीट, कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण गोवा

सीए वृक्षारोपण, सं. क्र. 451, महागांव रेंज, पूसद प्रभाग, यवतमाल सर्कल, महाराष्ट्र

8.7 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवल वर्तमान मूल्य के तहत दावानल निवारण कार्यों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	दावानल निवारण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	अग्निशामक दल: 83 संख्या जागरूकता अभियान का आयोजन: 96 संख्या कुल- 179 संख्या	2.04
3	अरुणाचल प्रदेश	अग्निशमन उपकरणों की खरीद: 125 नग. नदी तट पर नियंत्रित दहन: 80 हेक्टेयर	0.32
4	असम	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	4126 बीट	15.75
8	दिल्ली	शून्य	शून्य
9	गोवा	i. अग्निशामकों की नियुक्ति- 21000 मानव दिन ii. अग्निशामक लाइनों का रखरखाव और निर्माण- 250 आरकेएम iii. नेत्रावली डब्ल्यूएलएस और कोटिगाओ डब्ल्यूएलएस पर वॉच टावर का निर्माण - एपीओ के अनुसार	1.77
10	गुजरात	शून्य	शून्य
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	अग्नि निरीक्षक: 90626 एमडी नियंत्रण दहन: 14046	8.94
13	जम्मू एवं कश्मीर	-	5.98
14	झारखंड	36 संख्या	4.816
15	कर्नाटक	10000 किमी	13

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	दावानल निवारण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
16	केरल	i. अग्निशमन दल को शामिल करना: 19375 एमएम, ii. अग्नि जागरूकता अभियान: 110 नग, iii. अग्निशमन उपकरणों की खरीद और अग्नि अवरोधों का निर्माण: 620 किमी	1.5
17	लद्दाख	रैंक वनस्पति, घास को उखाड़ने सहित जंगल की सफाई: 51000 वर्ग मीटर अग्नि रेखा के लिए मिट्टी की खुदाई के माध्यम से बांध खाई का निर्माण = 22950 क्यूबिक मीटर ii. अग्नि उपकरणों की खरीद = एलएस iii. जागरूकता शिविर = एलएस	0.6194
18	मध्य प्रदेश	दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्य, आधुनिक उपकरण और सुरक्षा किट	37.43
19	महाराष्ट्र	i. अग्नि रेखाएँ = 33586 किमी ii.फायर वॉचर्स = 4727 संख्या	27.03
20	मणिपुर	i. प्रत्येक प्रभाग में ग्राम दावानल समिति का गठन ii. नियंत्रण कक्ष और जीआईएस सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना, वाहन/मोटरसाइकिल की खरीद/ किराए पर लेना	0.82
21	मेघालय	141 संख्या 2050 मीटर 153 कि.मी 36 कि.मी 125.068 हेक्टेयर	1.44
22	मिजोरम	i. अग्नि रेखाएँ = 468.02 किमी ii. अग्निशामक दल = 93 संख्या iii. अग्निशामक उपकरणों की खरीद = एलएस	2.0335

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	दावानल निवारण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
23	ओडिशा	i. फायर लाइन का निर्माण और रखरखाव: 19500 किमी ii. ईंधन और अन्य सामान सहित फायर ब्लोअर की खरीद: 306 संख्या iv. अग्निशमन दस्तों के लिए रसद सहायता: 213 संख्या v. फ्रंटलाइन कर्मचारियों को वन अग्नि पर प्रशिक्षण: 283 संख्या vi. रेंज में जागरूकता अभियान: 283 संख्या vii. फायर वॉच टावर: 10 संख्या **वन्यजीव मांग (अग्नि सुरक्षा):** i. ब्लोअर सहित अग्निशमन उपकरण: 100 संख्या ii. अग्निशमन दस्तों के लिए रसद सहायता: 58 संख्या iii. फायरलाइन निर्माण और रखरखाव: 7000 किमी iv. वॉच टावरों का निर्माण: 10 संख्या	8.63
24	पंजाब	i. जंगल की आग की रोकथाम और नियंत्रण संचालन क. माउंटेड स्प्रेयर - 17 नग ख. स्प्रे पंप/अन्य उपकरण - 96 नग। ग. फायर वॉचर - 2507 नग	2.59
25	राजस्थान	i. अग्नि रेखाएँ का निर्माण = 1149.30 किमी ii. अग्नि रेखाएँ का रखरखाव = 641.2 किमी	0.78
26	सिक्किम	शून्य	शून्य
27	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	i. अग्नि प्रहरी = 45 संख्या	0.753
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
30	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	दावानल निवारण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
31	उत्तराखंड	फायरलाइन (निर्माण एवं रखरखाव): 5057.94 किमी. अग्नि निरीक्षक अग्निशमन उपकरणों की खरीद: 777 संख्या अग्निशमन नियंत्रण कक्षों और क्रू स्टेशनों का रखरखाव (59 संख्या) नियंत्रित दहन (10479.8 हेक्टेयर) जागरूकता, कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण (33 संख्या) आग को कम करने के लिए वन भूमि को साफ करने के लिए चिरपाइन सुइयों का संग्रह (1280 क्विंटल) ग्राम पंचायतों, क्लस्टर स्तरीय अग्नि सुरक्षा/ प्रबंधन समितियों और वन पंचायतों के लिए प्रोत्साहन (63 संख्या) नमी संरक्षण गतिविधियां (89 संख्या) अन्य वन अग्नि सुरक्षा उपाय (114 संख्या) वन प्रभागों में आधुनिक अग्नि चालक स्टेशनों की स्थापना (40 संख्या) वन अग्नि सीजन (अधिकतम 4 महीने) के दौरान वाहन किराए पर लेना: 118 संख्या वन पंचायतों में दावानल नियंत्रण उपाय	8.96
32	पश्चिम बंगाल	उपकरण: 99 संख्या अग्निशमन निरीक्षक की नियुक्ति: 40211 संख्या फायरलाइनों का रखरखाव: 1330 संख्या	1.5
	कुल		**146.7**

8.8 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवल वर्तमान मूल्य एनपीवी के तहत मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्यों की स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	चेक डैम: 35 नग आरएफडी: 424 नग पीटी/एमपीटी: 435 संख्या कुल = 894 संख्या	5.8
3	अरुणाचल प्रदेश	792 संख्या (चेक डैम), 5 संख्या (तालाबों की ड्रेजिंग), 739 संख्या (जंगल बल्ली) कुल: 1536 संख्याएँ	10.24
4	असम	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	217 संख्याएँ	180.04
8	दिल्ली	शून्य	शून्य
9	गोवा	जल धारण संरचनाएं- 35 संख्या	0.81
10	गुजरात	तालाब - 47 चेक डैम - 41 गैबियन - 12 कुल = 100 संख्या	10.07
11	हरियाणा	तार संरचना, स्पर एबटमेंट दीवार, तालाब, चेक डैम, जल संचयन बनाएं	10
12	हिमाचल प्रदेश	वन क्षेत्र में एसएमसी कार्य: 7315 संख्या, प्राकृतिक झरने: 183 संख्या, तालाबों/ खाइयों और बर्फ/डब्ल्यूएचएस का विकास: 43726 आरएमटी बिगड़े वन क्षेत्र का विकास: 256 हेक्टेयर	27.37
13	जम्मू एवं कश्मीर	मृदा एवं आर्द्रता कार्य, कंपनी 4/आर जम्मू के संवेदनशील क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए: 383 क्रेट, 1819 सह डीआरएसएम एसएमसी कार्य	51.04

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
14	झारखंड	605.48 संख्या और 1 प्रभाग (कुल) (i) चेक डैम का निर्माण: 565 संख्या, (ii) पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार: 615 संख्या, (iii) कुछ महत्वपूर्ण नालों का उपचार: 31 संख्या, (iv) लीडार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विविध हस्तक्षेपों के लिए अग्रिम कार्य: 1 प्रभाग (चेक डैम वृक्षारोपण और एसएमसी कार्य, एनीकट, गली प्लगिंग, एमपीटी, पीटी आदि)	32.61
15	कर्नाटक	शून्य	शून्य
16	केरल	0.35 (नाली बंद करना, तालाबों का निर्माण/ आसवन)	0.57
17	लद्दाख	246.868 क्रेटों की संख्या (ऊर्ध्वाधर बांध/सीमेंट कंक्रीट सिंचाई खुल का निर्माण)	1
18	मध्य प्रदेश	एपीओ के अनुसार	6.16
19	महाराष्ट्र	(i) गैबियन बंधारा का निर्माण: 1250 (ii) सीमेंट बंधारा का निर्माण: 195.589 (iii) चेक डैम का निर्माण: 129 (iv) वन तालाब/वनताले/खोदताडी का निर्माण: 159 (v) मिट्टी/माटी नाला बांध: 61 (vi) मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण/कटाई कार्य (लिडार परियोजना): डीपीआर के अनुसार	83.91
20	मणिपुर	जल निकाय- तालाबों, खाइयां	0.8
21	मेघालय	15010 संख्या, 315 आरएम, 654 बेड, 326 हेक्टेयर (कुल) (i) रिटेनिंग वॉल का निर्माण- 315 रएम, (ii) जलाशयों का निर्माण - 2 संख्या, (iii) चेक डैम - 8 संख्या (iv) प्रथम वर्ष जलग्रहण क्षेत्र के पास वृक्षारोपण का निर्माण - 326 हेक्टेयर (v) नर्सरी बेड - 654 बेड (vi) फल देने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण - 15000 संख्या	4.26
22	मिजोरम	150 संख्या (जल निकाय: तालाब, खाइयां, चेक डैम, स्पर, रिटेनिंग/ब्रेस्ट वॉल)	1.5
23	ओडिशा	15424 हेक्टेयर	53.99

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्य	
		भौतिक (लक्ष्य)	वित्तीय (लक्ष्य)
24	पंजाब	वन में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य- i. शुष्क पत्थर की चिनाई चेक = 21570 मीटर3 ii. सिंगल लाइन लाइव हेज = 142 किमी iii. ब्रश वुड चेकडैम = 26750 मीटर3 iv. क्रेट तार की संरचना = 16050 मीटर3 v. सीमेंट चिनाई संरचना = 9300 मीटर3 vi. नए जल निकायों/तालाबों का निर्माण = 8 संख्या	14.47
25	राजस्थान	120 संख्या (कुल) एनीकट टाइप III = 30 संख्या एनीकट टाइप II = 30 संख्या एमपीटी = 60 संख्या	3.5
26	सिक्किम	93 संख्या और 150 हेक्टेयर (कुल) वन क्षेत्र के भीतर एसएमसी कार्य = 93 संख्या, ब्रूम घास का रोपण = 150 हेक्टेयर	1.23
27	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	246 संख्याएँ (कुल) पीटी: 97 संख्या, एमपीटी: 149 संख्या	3.98
29	त्रिपुरा	i. जल निकाय - तालाबों, खाइयों, चेक बांध, स्पर, रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्ट वॉल ii. कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधियाँ	5.1
30	उत्तर प्रदेश	66 ग्राम स्थानों पर एसएमसी कार्य किए जाएंगे	22.52
31	उत्तराखंड	327.38, 429 संख्या, 759 (कुल) स्प्रिंग शेड प्रबंधन: 327.38 वीपीएस में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (चेक डैम, जल स्रोतों का पुनरुद्धार): 429 संख्या ओए 200/2014, ओए 673/2015, ओए 325/2015 में माननीय एनजीटी आदेशों के अनुपालन में एसएमसी कार्य: 759	24.09
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
	कुल		**555.06**

एसएमसी कार्य (कंटूर खाइयाँ एवं चाल-खाल कार्य), भवाली रेंज, नैनीताल वन प्रभाग, उत्तराखंड

एसएमसी कार्य (बोल्डर सॉसेज वॉल), महालदीराम-II (निचला खंड), ईस्ट बलासन कैचमेंट रेंज, कर्सियांग मृदा संरक्षण प्रभाग, पश्चिम बंगाल

8.9 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवल वर्तमान मूल्य के तहत गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास की स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	गांवों का पुनर्वास		
	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य (यूनिट)	वित्तीय (लक्ष्य)
1	झारखंड	पोलपाल, चोपिया, तोताकी, नवरनागो, कुज़्रम, लाटू और तवई (6 गांव)	8
2	कर्नाटक	200 परिवार	30
3	मध्य प्रदेश	एपीओ के अनुसार	109.2
4	महाराष्ट्र	10 संख्या	30
5	ओडिशा	9 वन प्रभागों से 30 गांवों की संख्या	50
6	राजस्थान	4 गांव	25
7	पश्चिम बंगाल	246 परिवार	36.9
	कुल		**289.1**

नवरगांव (बोर बाघ अभयारण्य)

महाराष्ट्र में संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास

8.10 2023-24 के दौरान वन संरक्षण के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	6 (कुल) आवासीय क्वार्टर (नए): 2 संख्या, सरकारी भवन (नए): 3 संख्या, कैम्पिंग सुविधाएं (नए): 1 संख्या	1.29
3	अरुणाचल प्रदेश	निर्माण/ सृजन: 25 संख्या	5.4
4	असम	22 (कुल) फॉरेस्टर-I क्वार्टर का निर्माण: 4 संख्या, एफ.जीडी क्वार्टर का निर्माण: 2 संख्या, असम टाइप बैरक का निर्माण: 4 संख्या, अवैध शिकार विरोधी शिविर: 2 संख्या, देशी नाव का निर्माण: 10 संख्या	5.645
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	भवन: 40 संख्या कर्मचारियों की सुविधाओं का विकास	17.11
8	दिल्ली	बीट कार्यालय: 2	0.4
9	गोवा	-	-
10	गुजरात	बीट गार्ड: 54 संख्या फॉरेस्टर: 33 संख्या आरएफओ: 8 संख्या रेंज ऑफिस: 7 संख्या	13.32
11	हरियाणा	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	65 संख्या	4.2
13	जम्मू एवं कश्मीर	एपीओ के अनुसार	25.35
14	झारखंड	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
15	कर्नाटक	133 संख्या	23.77
16	केरल	शून्य	शून्य
17	लद्दाख	5 संख्या	5.34
18	मध्य प्रदेश	276 इमारतें	60
19	महाराष्ट्र	318 संख्या	62.26
20	मणिपुर	शून्य	शून्य
21	मेघालय	87 संख्या	2.535
22	मिजोरम	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	272 संख्या.	47
24	पंजाब	रेंज कार्यालय: 7 संख्या वनपाल और वन रक्षक कार्यालय: 7 संख्या वन नर्सरी में शौचालय: 100 संख्या	5.66
25	राजस्थान	निर्माण/सृजन: 63 संख्या	3.26
26	सिक्किम	शून्य	1.5
27	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	-	5.65
30	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
31	उत्तराखंड	आवासीय एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण (रेंज, फॉरेस्टर, एफजी स्तर) = 76 संख्य	19.18
32	पश्चिम बंगाल	क्वार्टर: 272; शौचालय: 28	2.01
	कुल		**310.88**

वन अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन दलों द्वारा कार्रवाई, झारसुगुड़ा वन प्रभाग, ओडिशा

फायर सर्विस के साथ मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण, बेतेई, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, सौरों वन्यजीव रेंज, बालासोर वन्यजीव प्रभाग, ओडिशा

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

ई: nationalcampa-moefcc@gov.in
वेबसाइट: www.nationalcampa.nic.in